CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(Formerly Kanpur University, Kanpur)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

मार्गदर्शिका

38th Convocation

28th September 2023

38वाँ दीक्षांत समारोह

28 सितंबर 2023

राष्ट्रीय शिक्षा नीति मार्गदर्शिका

अनुक्रमणिका

- **माननीय कुलाधिपति सन्देश**
- **माननीय उच्च शिक्षा मंत्री सन्देश**
- **माननीय कुलपति सन्देश**
- **माननीय कुलसचिव सन्देश**
- **सम्पादकीय**
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति : दृष्टिकोण पत्र**

1- **प्रवेश**

- शासनादेश
- विश्वविद्यालय नियमावली
- शोध परियोजना नियमावली
- विषय परिवर्तन आदेश

2- **परीक्षा**

- मूल्यांकन पद्धति आदेश

3- **परिणाम**

- ग्रेडिंग व्यवस्था आदेश

4- **एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट**

- ABACUS शासनादेश
- पंजीकरण हेतु प्रक्रिया

5- **प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न**

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

राज भवन
लखनऊ - 226 027

6 सितम्बर, 2023

सन्देश

मुझे यह जानकर अतीव प्रसन्नता हुई कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु एक मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

कौशल आधारित शिक्षा, लचीले पाठ्यक्रम और बहु–विषयक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए भारत को 'नॉलेज सुपर पावर' बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का उद्देश्य है। इसलिये इसमें आज के बदलते विश्व के अनुरूप विद्यार्थियों के Research और Innovation पर जोर दिया गया है। विश्वविद्यालयों का प्रयास होना चाहिए कि वे केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ाने वाले मानव संसाधन दें। मुझे विश्वास है कि यह मार्गदर्शिका विश्वविद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों के साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगी।

मार्गदर्शिका के सफल प्रकाशन के लिये मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।

आनंदीबेन

(आनंदीबेन पटेल)

दूरभाष : 0522-2236497 फैक्स : 0522-2239488 ईमेल : hgovup@gov.in वेबसाइट : www.upgovernor.gov.in

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री
उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्री
उत्तर प्रदेश

कक्ष सं0–63बी / डी, मुख्य भवन
विधान भवन, लखनऊ।
दूरभाष– 2238051(कार्या0)
दिनाँक– 13.09.23

संदेश

यह अत्यन्त गौरव का क्षण है जब छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि यह मार्गदर्शिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गौरवमयी यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपके इस नवाचार से प्रेरित होकर देश के अन्य विश्वविद्यालय भी इसका अनुसरण करेगें।

यह मार्गदर्शिका शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को क्रियान्वयन के समस्त पक्षों पर व्यापक जानकारी देने में समक्ष होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति को इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने हेतु बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ।

(योगेन्द्र उपाध्याय)

प्रो0 विनय कुमार पाठक
कुलपति
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर–208024

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर - 208024
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur - 208024
(Formerly Kanpur University, Kanpur)

प्रो. विनय कुमार पाठक
कुलपति
Prof. Vinay Kumar Pathak
Vice Chancellor

23 सितम्बर, 2023

शुभकामना सन्देश

यह अत्यन्त गर्व का क्षण है कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में **मार्गदर्शिका** का प्रकाशन किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि यह मार्गदर्शिका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर भारत को बदलने में सीधे योगदान प्रदान करेगी। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस नवाचार से प्रेरित होकर देश के अन्य विश्वविद्यालय भी इसका अनुसरण करेगें।

यह **मार्गदर्शिका** शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को क्रियान्वयन के समस्त पक्षों पर व्यापक जानकारी देने एवं उनका सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति को इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सम्पादित करने हेतु बहुत–बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ।

Vinay Kumar Pathak

(प्रो0 विनय कुमार पाठक)
कुलपति

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय/Office : +91-512-2581280
फैक्स/Fax : +91-512-2581280
ई.मेल/E-mail : vcocsjmu@gmail.com
वेबसाईट/Website : www.csjmu.ac.in

E-mail: registrar@csjmu.ac.in
registrarcsjmuknp@gmail.com

☎: 0512-2246602
☎: 0512-2246610

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)
(Formerly Known as Kanpur University Kanpur-208024)

डा0(अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

संदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन **''मार्गदर्शिका''** छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के समस्त प्रावधानों को स्पष्ट करने में सफल होगी। इसमें संकलित शासनादेश, कार्यालय आदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न जैसे खण्ड प्रशासकों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की समस्त समस्याओं का समाधान देने में सफल होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 द्वारा ज्ञान के परिदृश्य में पूरा शिक्षा जगत तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा एनालिटिक, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, और समाज विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी नई शिक्षा नीति सहायक सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन मार्गदर्शिका विश्वविद्यालय परिसर तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक एवं परास्नातक के छात्र/छात्राओं को प्रेरणादायक सिद्ध होगी।

डॉ0 (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.विश्वविद्यालय परिसर, कल्याणपुर, कानपुर–208024 (उ0प्र0)
फोन नं.–0512–2246610 (कार्यालय) मो0–9369601454

सम्पादकीय

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ने ही भारत को विश्वगुरू के रूप में स्थापित किया था। विश्वगुरु के रूप में पुनर्स्थापन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की। यह नीति न केवल शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रपत्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक दृष्टिकोण से नवीन दिशा प्रदान करना है। इस नीति में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के परिमार्जन हेतु अनेक महत्वपूर्ण संशोधन समाहित हैं।

भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्राकिंत महत्वपूर्ण परिवर्तनों की दिशा में कदम बढ़ा रही है- प्रथम, पाठ्यक्रम और पठन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पाठ्यक्रमों और पठनों में लचीलापन को प्राथमिकता दी है। विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकता हैं और अपनी क्षमताओं के अनुरूप शैली में अध्ययन कर सकते हैं; द्वितीय, बहुविषयक पाठ्यक्रम: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उच्च शिक्षा में बहुविषयक पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है, जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है; तृतीय, अनुसंधान और नवाचार: राष्ट्रीय शिक्षानीति में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किया गया है। इससे विश्वविद्यालयों को नवाचारी और भविष्योन्मुखी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने तथा निवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है; चतुर्थ, बहुभाषा अध्ययन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों को अपनी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। यह उनकी भाषिक और सांस्कृतिक समझ में वृद्धि करेगा; पंचम, उद्यमिता तथा हस्तकौशल प्रशिक्षण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय संसाधनों तथा आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए हस्तकौशल प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जिससे छात्र व्यावसायिक और तकनीकी दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे; षष्ठ, अनुसंधान और नवाचार के केंद्र: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत अनुसंधान और नवाचार के केंद्र की स्थापना को बढ़ावा दिया गया है, जिससे शैक्षिक संस्थान और उद्यमिता को साथ मिलकर नवाचार में सहायता प्राप्त होगी।

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और सुधार की दिशा में प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा से सम्बद्ध अनेक परिवर्तन प्रस्तुत करती है किन्तु यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप भी शिक्षा व्यवस्था को ढालने हेतु प्रतिबद्ध है। इस नीति के माध्यम से भारत सरकार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तथा जीवंत वातावरण प्रदान करने और समृद्ध भारत के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह नीति शिक्षा क्षेत्र में नवोन्मेषी कार्यों हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। हम एक नवीन शिक्षा युग की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें भारत पुनःविश्वगुरु के रूप में पुनर्स्थापित होगा। भारत ही नहीं वरन विश्व का भारत में शिक्षा प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करने में सफल होगा।

हम गौरवान्वित है कि हमने अपने विश्वविद्यालय के यशश्वी कुलपति के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मात्र क्रियान्वित ही नही किया है बल्कि क्रियान्वयन के विभिन्न पक्षों पर दृष्टि रखते हुये परिष्करण भी किया है। इस परिष्करण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति तथा विश्वविद्यालय के प्रशासकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यह क्रियान्वयन मार्गदर्शिका हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा शिक्षा प्रशासकों हेतु पथप्रदर्शक का कार्य करेगी।

प्रोफेसर राजेश कुमार द्विवेदी
अध्यक्ष
राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : दृष्टिकोण प्रपत्र

नीति निर्माण से अधिक कठिन कार्य नीति क्रियान्वयन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा तथा आधुनिक विश्व के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुये किया गया है। नीति क्रियान्वयन के पक्ष को महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए नीति निर्माताओं ने व्यापक दिशानिर्देश प्रदान किये हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अत्यधिक परिश्रम किया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उच्च शिक्षा की समस्याओं यथा गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र, संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल, विषयों का एक कठोर विभाजन, विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देना, सीमित पहुँच, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहाँ कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं, सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता, योग्यता आधारित करियर प्रबंधन और संकाय और संस्थागत लीडरों की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र, अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल और विषयक अनुशासनों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी-समीक्षा शोध निधियों की कमी, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव, एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली, बहुत सारे संबद्ध विश्वविद्यालय, जिनके परिणामस्वरूप अवर स्नातक शिक्षा के निम्न मानक पर चिन्तन करने के पश्चात नीति निर्माण का कार्य किया है।

नीति निर्माताओं ने समस्याओं के समाधान हेतु तथा गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली एवं समावेशी उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अग्राकिंत परिवर्तन सम्मिलित किये हैं-

क. ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहु-विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, जहाँ प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर एचईआई ऐसे ही हो, जो स्थानीय / भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों;

ख. और अधिक बहु-विषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना;

ग. संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना;

घ. विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठ्यचर्या, शिक्षण- शास्त्र मूल्यांकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूल-चूल परिवर्तन करना;

ङ. शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता - नियुक्तियों और करियर की प्रगति के माध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना;

च. सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना; छ. शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता वाले उच्चतर योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा एचईआई का गवर्नेंस;

ज. व्यावसायिक (प्रोफेशनल) शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा "लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन;

झ. उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुँच, समता और समावेशन में वृद्धि: इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर, वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी / परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि; ओपन स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा, और मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल); और दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उस तक उनकी पहुँच।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश में शासन के द्वारा समय समय पर दिशानिर्देश निर्गत किये गये। इन निर्देशों को विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास हेतु क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य विश्वविद्यालयों पर था। वर्तमान में विद्यार्थियों को बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने हेतु नीति के निर्देशों के अनुरूप संकाय विभाजन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को मुख्य (Major) तथा गौण (Minor) विषयों की संकल्पना प्रस्तुत की गयी है। इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को मुख्य विषय अथवा विषयों का चुनाव उस संकाय से करना है जिसमें वह अध्ययन करना चाहता है। गौण विषय के चुनाव का आधार रूचि तथा उपयोगिता होनी चाहिए। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि रूचि का कार्य करने से व्यक्ति को जीवन्त तथा मानसिक रूप से सन्तुष्ट करता है। अतः विद्यार्थी को स्नातक के प्रथम दो वर्षों में तीसरे मुख्य विषय तथा स्नातक के प्रथम दो वर्षों एवं परास्नातक प्रथम वर्ष में गौण प्रश्नपत्र का चुनाव रूचि तथा उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए। यदि विद्यार्थी की रूचि संगीत, कला आदि में है तो वह परंपरागत विषयों के अध्ययन के साथ साथ इन विषयों का अध्ययन करने का अवसर भी प्राप्त कर सकता है। यदि वह अन्तर्विषयी शोध के दिशा में कार्य करना चाहता है तो वह अपनी उपयोगिता के आधार पर गौण विषय का चुनाव कर सकता है यथा भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी भाषा में शोध करना चाहता है तो वह भाषा प्रौद्योगिकी जैसे गौण प्रश्नपत्र का चुनाव कर सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्षों में एक व्यावसायिक शिक्षा है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम का आधार स्थानीय संसाधन तथा आवश्यकता है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सम्बद्ध महाविद्यालयों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे स्थानीय संसाधनों तथा आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित क्रेडिट्स का व्यावसायिक पाठ्यक्रम निर्मित कर अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम विद्यार्थी को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान में सक्षम हो। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा खिलाडियों के लिए विशिष्ट व्यावसायिक पाठ्यक्रम निर्माण करने की दिशा में अग्रसर है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थी के चहुँमुखी विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्नातक के तीन वर्षों के 06 सेमेस्टरों में सहपाठ्यचर्या प्रश्नपत्र (Cocurricular Papers) अनिवार्य किये गये हैं। प्रथम सेमेस्टर में भोजन, पोषण और स्वच्छता; द्वितीय सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य; तृतीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन; चतुर्थ सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा और योग; पंचम सेमेस्टर में विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता तथा षष्ठ सेमेस्टर में संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शोध की दशा और दिशा में परिवर्तन हेतु दृढसंकल्पित है। स्नातक तथा परास्नातक स्तर पर शोध परियोजना का प्रावधान किया गया है। स्नातक के अन्तिम वर्ष में एक लघु शोध परियोजना का प्रस्ताव मात्र क्वालीफांइग किया गया है जबकि परास्नातक स्तर पर शोध कार्य को अंकों के साथ जोडा गया है। इसके अन्तर्गत लघुशोध, सर्वेक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि भी सम्मिलित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति मात्र प्रावधान नहीं करती है बल्कि अनेक नवोन्मेषी समाधान भी प्रस्तुत करती है। भारतीय भाषाओं, कला तथा संस्कृति के संवर्धन को उच्च शिक्षा के साथ समाहित करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह भाषा, कला तथा संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में अवश्य सफल होगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण से उच्च शिक्षा एक नवीन युग में प्रवेश करेगी।

डॉ. यतीन्द्र सिंह
संयोजक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति
क्रियान्वयन सलाहकार समिति

प्रवेश

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2 **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2021**

विषयः– उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय/ महोदया,

उर्पयुक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनॉक 20–04–2021 द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020" के अनुरुप "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)" पर तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में आगामी सत्र से लागू किया जाना है ।

2– उक्त के क्रम में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020" के अनुरुप विद्यार्थियों को बहुविषयक विकल्प उपलब्ध कराने, भाषा विषयों को बढावा देने तथा अर्न्तविश्वविद्यालय क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिये संकायों की एकरुपता आवश्यक है ।

3– प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों को निम्न संकायों में वर्गीकृत किया गया है। यदि कोई अन्य एलाईड विषय आपके यहां संचालित है तो उसको सम्बंधित विषय के संकाय में माना जाये । अर्तःविषयी, विषय के सम्बंद्ध में मूल संचालनकर्ता विषय के संकाय को उस विषय का संकाय माना जाये । सूची में उपलब्ध विषयों के अतिरिक्त विषय की सूचना उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उनके कोड का निर्धारण किया जा सके।

4– पूर्व में कई विषय जैसे–गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन आदि जैसे विषय बी0ए0, बी0एस0सी0 दोनों वर्ग के छात्रों के लिये उपलब्ध थे जिस कारण से वे दोनों संकायों में वर्गीकृत किये गये थे। नई व्यवस्था में छात्र को तीसरा मुख्य विषय लेने की छूट है अतः कोई भी छात्र किसी भी संकाय के विषय का चुनाव कर सकता है, इसलिये किसी भी विषय को दो संकायों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है ।

5– अवगत कराना है कि निम्नानुसार सिर्फ विषयों को संकायों में वर्गीकृत किया गया है। अन्य पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

(1) Faculty of Language (भाषा संकाय)

1. Arabic (अरेबिक)
2. Communicative English (संचार अंग्रेजी)
3. English (अंग्रेजी)
4. Farsi (फारसी)

5. Foreign language (विदेशी भाषा)
6. French (फ्रेंच)
7. German (जर्मन)
8. Hindi (हिन्दी)
9. Linguistics (भाषा विज्ञान)
10. Modern Indian Languages and Literary Studies (आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्यिक अध्ययन
11. Pali (पाली)
12. Prakrit (प्राकृत)
13. Punjabi (पंजाबी)
14. Sanskrit (संस्कृत)
15. Sindhi (सिंधी)
16. Tibbati (तिब्बती)
17. Urdu (उर्दू)

(2) Faculty of Arts, Humanities and Social sciences(कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)

1. Adult and Continuing Education (प्रौढ, सतत् एवं प्रसार शिक्षा)
2. Ancient History, Archaeology & Culture (प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति)
3. Anthropology (मनुष्य जाति का विज्ञान)
4. Archaeology and Musicology (पुरातत्व एवं संग्रहालय)
5. Astrology (ज्योतिष विज्ञान)
6. Defence and Strategic Studies (रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन)
7. Early Childhood care and Education (बाल्यकाल की आरम्भिक देखभाल एवं शिक्षा)
8. Economics (अर्थशास्त्र)
9. Education (शिक्षा शास्त्र)
10. Geography (भूगोल)
11. History (इतिहास) -Medieval and modern history
12. Home Science (गृह विज्ञान)
13. Human Development (मानव विकास)
14. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)
15. Human Rights (मानवाधिकार)
16. Indian history and culture (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)
17. Journalism (पत्रकारिता)
18. Journalism and communication (पत्रकारिता एवं जनसंचार)
19. Library & Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)
20. Mass Media (संचार मीडिया)
21. Media and communication (मीडिया एवं संचार)
22. Nutrition and Dietetics (पोषण एवं आहार विज्ञान)
23. Philosophy (दर्शनशास्त्र)
24. Physical Education (शारीरिक शिक्षा)
25. Political Science (राजनीति विज्ञान)
26. Psychology (मनोविज्ञान)
27. Public Administration (लोक प्रशासन)
28. Social Work (सामाजिक कार्य)
29. Sociology (सामाजिक विज्ञान)
30. Women Studies (महिला अध्ययन)
31. Yoga (योग शिक्षा)

(3) Faculty of Legal Studies (विधि संकाय)

1. Law related courses (विधि सम्बन्धित पाठयक्रम)

a. Law as one of the three subject in UG programme

b. BALLB, BScLLB, BComLLB, LLB, LLM

(4) Faculty of Science (विज्ञान संकाय)

1. Applied Microbiology (व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान)
2. Astronomy (खगोल विज्ञान)
3. Biochemistry (जैव रसायनविज्ञान)
4. Bioinformatics (जैव सूचना विज्ञान)
5. Biotechnology (जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान)
6. Botany (वनस्पति विज्ञान)
7. Chemistry (रसायन विज्ञान)
8. Computer Application (कम्प्यूटर अनुप्रयोग)
9. Computer Science (कम्प्यूटर विज्ञान)
10. Electronics (इलैक्ट्रोनिक्स)
11. Environmental science (पर्यावरण विज्ञान)
12. Food Science & Technology (खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी)
13. Forensic Science (फोरेन्सिक विज्ञान)
14. Geographic Information System and Remote Sensing (भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूरसंवेदन)
15. Geology (भू–गर्भ विज्ञान)
16. Genetics & Genomics (अनुवांशिकी एवं जीनोमिक)
17. Industrial Biotechnology (औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान)
18. Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायनविज्ञान)
19. Industrial Forestry (औद्योगिक वानिकी)
20. Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान)
21. Information Technology (सूचना प्रौद्योगिकी)
22. Instrumentation (उपकरण विज्ञान)
23. Life Science (जीवन विज्ञान)
24. Mathematics (गणित)
25. Microbiology (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
26. Nanotechnology (नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान)
27. Physics (भौतिक विज्ञान)
28. Polymer Science & Chemical Technology (बहुलक विज्ञान एवं रसायन प्रौद्योगिकी विज्ञान)
29. Statistics (सांख्यिकी)
30. Toxicology (विष विज्ञान)
31. Zoology (जन्तु विज्ञान)

(5) Faculty of Agriculture (कृषि संकाय)

1. Agriculture (कृषि विज्ञान)
2. Agriculture economics (कृषि अर्थशास्त्र)
3. Agriculture extension (कृषि विस्तार)
4. Agriculture statistics (कृषि सांख्यिकी)
5. Animal husbandry (पशुपालन)
6. Forestry (वानिकी)
7. Genetics and Plant Breeding (पादप अनुवांशिकी)
8. Horticulture (उद्यान विज्ञान)
9. Plant Protection (पादप संरक्षण)

10.Plant Pathology (पादप रोग विज्ञान)
11.Seed Technology (बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान)

(6) Faculty of Teacher Education (शिक्षक शिक्षा संकाय)

1. Physical Education (शारीरिक शिक्षा) B.PEd., M.PEd.
2. Teacher Education (अध्यापक शिक्षा) B.Ed., M.Ed.

(7) Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)

1. Commerce (वाणिज्य)
2. Accounting and auditing (लेखा एवं लेखा परीक्षा)
3. Advertising, Sales Promotion and Sales Management (विज्ञापन, विक्रय प्रोत्साहन एवं बिक्री प्रबन्धन)
4. Banking and insurance (बैंकिग एवं बीमा)
5. Foreign Trade (विदेशी व्यापार)
6. Office Management and Secretarial Assistance (कार्यालय प्रबंधन एवं सचिवीय सहायता)
7. Taxation (कराधान)

(8) Faculty of Management (प्रबंधन संकाय)

1. Business Administration (व्यवसाय प्रबंधन)
2. Business Economics (व्यापार अर्थशास्त्र)
3. Finance and Control (वित्त एवं नियंत्रण)
4. Hospital Administration (अस्पताल प्रशासन)
5. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)
6. International Business (अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार)
7. Logistic management (रसद प्रबंधन)
8. Management Science (प्रबंधन विज्ञान)
9. Marketing (विपणन)
10. Tourism Management (पर्यटन प्रबंधन)
11. Travel and hospitality management (पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन)

(9) Faculty Fine Art and Performing Art (ललित कला एवं प्रर्दशन कला संकाय)

1. Architecture (वास्तुकला)
2. Choreography (नृत्यकला)
3. Dance (नृत्य)
4. Dance- Bharatanatyam (नृत्य–भरतनाट्यम)
5. Dance- Kathak (नृत्य–कथक)
6. Dance-Folk (लोक नृत्य)
7. Drawing & Painting (चित्रकारी)
8. Film (चलचित्र)
9. Fine Arts (ललित कला)
10. Music (Vocal) (संगीत गायन)
11. Music Instrument Sitar (संगीत सितार)
12. Music Instrument Tabla (संगीत तबला)
13. Music (संगीत)
14. Performing Art (प्रर्दशन कला)
15. Sculpture (मूर्ति कला)
16. Theatre and cinema (रंगमंच एवं चलचित्र)
17. Visual and Studio Art (दृश्य एवं स्टूडियो कला)

(10) Faculty of Vocational Studies (व्यवसायिक अध्ययन संकाय)

NSQF/UGC के दिशा निर्देशानुसार 40%(General) & 60% (Skill) व्यवस्था पर आधारित, स्किल पार्टनर के सहयोग से संचालित विषय ही व्यवसायिक शिक्षा के अर्न्तगत आयेंगे ।

1. Advertising, Sales Promotion and Sales Management

Nikhil G.O.

2. Agribusiness management
3. Airline, Tourism and Hospitality Management
4. Analytical Instrumentation.
5. Community Sciences(Home sciences)
6. Dairy technology
7. Foreign Trade Practices and Procedures.
8. Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology
9. Multimedia, Animation and Graphics
10.Nutrition and health care Sciences
11.Organic farming and Organic products
12.Principles and Practice of Insurance

(11) Faculty of Rural Science (ग्रामीण विज्ञान संकाय)

1. Community development and extension (सामुदायिक विकास एवं प्रसार)
2. Co-operation (सहकारिता)
3. Agriculture Marketing (कृषि विपणन)
4. Horticulture (Rural Science) (उद्यान विज्ञान– ग्रामीण विज्ञान)
5. Village Industries (ग्रामीण उद्योग)
6. Fisheries (मतस्य पालन)
7. Rural Banking (ग्रामीण बैकिंग)

6– उपरोक्तानुसार नवीन संकाय व्यवस्था को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमानुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीया,
15/6
(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1267 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1276/सत्तर–3–2021–16(26)/2011

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलपति
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2021

विषयः उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 15.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप अन्तर्विश्वविद्यालय केडिट स्थानान्तरण को सुगम बनाने के लिए संकायों की एकरूपता के सम्बन्ध में मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विश्वविद्यालय विशेष में प्रचलित संकाय एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ववत् चलती रहेगी।

भवदीया,
16/6
(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव। o/c

संख्या–1276(1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

16/06/21

आज्ञा से
(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव। o/c

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. **कुलसचिव**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।
2. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठयक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठयक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलैक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यकम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर दे सकते हैं।

2– शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम(Minimum Common Syllabus)

1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. **परिभाषाएं–**

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)**–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 **संकाय (Faculty)-**

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी । भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.3 **विषय (Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-** यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी**

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 **तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।**

5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।

5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. **सह–विषय / कोर्स (Co-Curricular Courses)**

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय / कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 हर सह–विषय / कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

8. **शोध परियोजना (Research Project)**

8.1 स्नातक / स्नातकोत्तर / पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृह्द शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी. डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग / इर्न्टरनशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग / कम्पनी / तकनीकि संस्थान / शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

9. **क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण**

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल / इर्न्टनशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इर्न्टनशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत केडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3– विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं0 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठयक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1567 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	OtherSubject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-CurricularCourse (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4)Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

Note: Blue Colour: No. of papersRed colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical

for wn
Dean Academic
10.2.2022

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-401 / सत्तर-3-2022
लखनऊ : दिनांक 07 फरवरी, 2022

1- **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2- **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें उल्लेख किया गया था कि सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर शैक्षिक सत्र 2021-22 तथा उच्चतर स्तरों पर शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू होगा। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम 2021-22 में लागू कर दिए गए हैं।

2- पाठ्यक्रम पुनर्रचना की राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव दिये गये है, जिन्हे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना करके एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,
(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-401(1)/सत्तर-3-2022-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
3- प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र०।
4- डॉ0 दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु०मा० कन्या पी०जी० राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ०प्र०।

आज्ञा से,
(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संलग्नक

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी0सी0, दिनांक 13 जुलाई 2021 जारी किया था जिसके बिन्दु संख्या–4 में कहा गया था कि स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव/योजना प्रस्तुत है :–

क्षेत्र (Scope)-

- जिन संकायों के पाठ्यक्रमो/कार्यक्रमों में किसी नियामक संस्था के नियम लागू नहीं होते जैसे कि एम0ए0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 इत्यादि, उनमें यह व्यवस्था लागू होगी।
- चिकित्सा (Medicine and Dental etc.), तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.), विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0, बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड, एम.पी.एड) इत्यादि के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास–

- नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेगें। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।
- इस वर्ष मे प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा।
- प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।
- स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र छोड कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी। स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में न्यूनतम 52+48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संरचना–

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि पेपर्स का प्रकार, उनकी संख्या व क्रेडिट इत्यादि, उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के अंतिम पृष्ठ पर एक तालिका में दी हुई है। सुलभ संदर्भ के लिए यह तालिका इस पत्र के अंत में भी अंकित है।
- स्नातकोत्तर में एक ही मुख्य विषय (Major Subject) होगा।

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम सी0बी0सी0एस0 एवं सेमेस्टर प्रणाली में संचालित होगा।
- मुख्य विषय के चार थ्योरी के पेपर (पाँच क्रेडिट का एक) अथवा चार थ्योरी के व एक प्रयोगात्मक पेपर (सभी चार चार क्रेडिट) एक सेमेस्टर में होंगे। इस प्रकार एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे। एक वर्ष में 40 व दो वर्ष में 80 क्रेडिट होंगे।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि उसमें अधिकाधिक Optional पेपर्स हों।

  जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में चारों थ्योरी पेपर्स अनिवार्य हो सकते हैं। द्वितीय व तृतीय सेमेस्टरर्स में एक अथवा दो पेपर specialization पर आधारित optional पेपर्स में से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पेपर्स का चुनाव कर सकता है। चतुर्थ सेमेस्टर में अधिकाधिक अथवा सभी पेपर्स specialization पर आधारित optional पेपर्स होना समुचित रहेगा।
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र को केवल एक माइनर इलेक्टिव पेपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा। यह पेपर 4 या अधिक क्रेडिट का होगा।
- उपरोक्त सभी पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेगें।

स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना (Research Project)

- उच्च शिक्षा के चतुर्थ एवं पंचम वर्ष (स्नातकोत्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) में विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में उसके द्वारा चुने गये मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी।
- यह शोध परियोजना interdisciplinary/ multi-disciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट (चार घंटे प्रति सप्ताह) की शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Project Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। इस प्रकार इस परीक्षा के कुल 8 क्रेडिट होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC-CARE listed जर्नल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यॉकन (पूर्णाक 100 में से) में 25 अंक तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं । प्राप्तांक अधिकतम 100 ही होंगे ।
- शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण तथा उपरिथति आदि के नियम उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के बिन्दु संख्या 9 व 10 में दिये गये हैं।

पी0एच0डी0 कार्यक्रम

- पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम व अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये जाते हैं।
- इसमें शोध परियोजना से पहले प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य होता है।
- सभी विश्वविद्यालयों में प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में दो पेपर मुख्य विषय के 6–6 क्रेडिट के होंगे तथा एक पेपर 4 क्रेडिट का उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology (including research ethics, plagiarism and computer applications) का होगा।
- उपरोक्त 16 क्रेडिट के तीन पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेगें।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली–2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum Passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड / CGPA होंगें।

Grading (ABCD)

Synopsis for res. project

- उपरोक्त थ्योरी पेपर्स के अतिरिक्त, प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी होगी, जिसका स्वरूप विश्वविद्यालय की BOS व Academic Council निर्धारित करेगी।

Tentative supervisor allot to student as per area of interest.

- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या–69/सत्तर–1–2022 दिनांक 06–01–2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिये प्री.पी.एच.डी. कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ आनलाईन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों से कार्यवही करने को कहा है । इस सम्बंध में विश्वविद्यालय सेवारत शिक्षकों के लिये आनलाईन कोर्स वर्क का प्रारुप व नियम बना सकते हैं ।

online classes also to be ~~ado~~ accepted & adapted

Table - Year-wise Structure of UG/PG Programs

Blue Colour: No. of papers **Red colour: Credits** **Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses**

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey / Research Project	(Minimum Credits) For the year	(Cummulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major 4/5/6 Credits	Major 4/5/6 Credits	Major 4/5/6 Credits	Minor Elective 4/5/6 Credits	Minor 3 Credits	Minor 2 Credits	Major 4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ – Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	Th-2 (6)	Th-1(4) Research Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर)
Formerly Kanpur University, Kanpur 208024

अकादमिक कार्यालय
Academic Office

Email: dean_acad@csjmu.ac.in

पत्रांक : सीएसजेएमयू/अकादमिक/418 /2023 दिनांकः 17.04.2023

List of minor electives to be run in affiliated colleges in PG programs (as per NEP)

S.No.	Subject	Minor elective paper	Code	Semester
1.	Botany	Biodiversity and Environmental Pollution*	B040808T	2
2.	Chemistry	Environmental Chemistry*	B020808T	2
3.	Commerce	Advanced Corporate Accounting and Reporting	C010804T	2
		Consumer Behaviour and Marketing Research	C010805T	
		Talent Management	C010806T	
4.	Defence and Strategic Management	Economic Aspects of War	A120804T	2
		Evolution and Development of Indian Art of War	A120805T	
5.	Drawing & Painting	All elective papers of 2nd semester	-	2
6.	Economics	Agriculture Economics	A080803T	2
		Indian Public Finance	A080806T	2
7.	Education	Environmental Education	E010804T	2
8.	English	1. Linguistics and ELT 2. Colonial and Post-Colonial Literature 3. Translation and Folk Literature	A040703T A040802T A040804T	1 2 2
9.	Geography	Disaster Management	A110805T	2
		Remote sensing & GIS	A110806T	2
10.	Hindi	Media Writing	A010803T	2
		Shodhatmak lekhan	A010806T	
		Bhasha Pradyogiki	A010805T	
11.	History	History of Modern India Political and Administrative aspects: 1740-1857	A050804T	2
12.	Home Science	Gender Sensitization for Women Empowerment	A130805T	2
13.	Maths	Introductory Statistical Methods	B030809T	2

14.	Philosophy	Socio Political Philosophy	A100805T	2
15.	Political Science	Indian Foreign Policy & all other papers of 2nd semester	(A060804T) and all others	2
16.	Sanskrit	Vedic Sanskrit and Environment*	A020808T	2
17.	Sociology	Rural Sociology	A070804T	2
		Urban Sociology	A070805T	
		Social Psychology	A070806T	
		Sociology of Environment*	A070808T	
18.	Statistics	Demography	B060805T	2
19.	Urdu	Urdu Fiction	A030901T	1st and 2nd (shall be offered in both sem)
20.	Zoology	Sericulture	B050805T	2

Note:

1. For all other subjects not mentioned in the list, all the elective papers offered in 2nd semester for that subject, may be offered as minor electives for PG students of other faculty.
2. The syllabus for some new papers declared as minor electives for being opted by students of other faculty are marked with * and are enclosed herewith.

Rolee Sharma

Dean (Academics)

Copy to:

1. VC Office
2. P.A. to Registrar
3. Convenor and all members of BoS
4. Office Copy

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर)
Formerly Kanpur University, Kanpur 208024
अकादमिक कार्यालय
Academic Office

Email: dean_acad@csjmu.ac.in

पत्रांक : सीएसजेएमयू/अकादमिक/Addendum no. 01/2023 दिनांक: 13.05.2023

ADDENDUM - 01/2023

Kindly note that for the academic session 2022-23, **Elementary Statistics** (code: A080804T) - a paper offered under the Economics Subject - is also recognized as **minor elective** for the Masters students of other faculty.

Rolee Sharma

(Dean Academics)

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
KALYANPUR, KANPUR-208024
कल्याणपुर, कानपुर–208024

पत्रांक–सी.एस.जे.एम.वि.वि. / Acad. / 2101 / 2021 दिनांकः 16 / 07 / 2021

सेवा में,

समस्त प्रचार्य / प्रचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए सेमेस्टर आधारित शैक्षिक सत्र हेतु कार्यान्वयन प्रक्रिया।

महोदय / महोदया,

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार स्नातक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली को सत्र 2021–2022 से लागू किया जाएगा ताकि शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके और ज्ञानवर्धन में प्रगतिशीलता सुनिश्चित की जा सके। शासन द्वारा प्रस्तावित समान न्यूनतम पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की अध्ययन समितियों द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं विश्वविद्यालय में निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को शैक्षिक सत्र 2021–2022 से लागू करने हेतु विश्वविद्यालय में कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्नलिखित होगीः

<u>परिभाषएँ</u>

- **पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme):**
  एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।
- संकाय
  1. संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकायय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
  2. छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267 / सत्तर–3–2021–16 (26) / 2011 दिनांकः 15–06–2021 के अनुसार होगी। भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A) की मिलेगी।
- **विषय(Subject)– यथा**
  1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।
  2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।
- **कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper) :**
  1. एक विषय के विभिन्न थ्योर / प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
  2. थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

पाठ्यक्रमों का चयन और प्रवेश प्रक्रिया

- उम्मीदवार विश्वविद्यालय परिसर या संबद्ध कॉलेज में चल रहे किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे।
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदकों की सूची कॉलेज लॉगिन पर प्रदान की जाएगी।
- विभाग / महाविद्यालय शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे।

- प्रवेश के उपरान्त विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रबंधन आदि) का चुनाव करेगा ।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सीटों की उपलब्धता और पात्रता के अनुसार संबंधित संकाय में विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे।
- इसके उपरांत विद्यार्थी तीन प्रमुख Major विषयों का चयन करेगा जिसमें से दो प्रमुख Major विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा और तीसरा प्रमुख विषय चुने हुए संकाय या किसी अन्य संकाय से हो सकता है। कॉलेज में प्रस्तावित विषयों और सीटों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज किसी अन्य संकाय से चुने जाने वाले तीसरे प्रमुख विषय के लिए विकल्प निर्धारित कर सकता है।
- पहले चार सेमेस्टर में एक Minor विषय को दूसरे संकाय से चुनना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सीटों की उपलब्धता के अनुसार Minor विषय आवंटित करेंगे।
- माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।
- माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगीं तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।
- प्रत्येक विद्यार्थी प्रथम चार सेमेस्टर में महाविद्यालय द्वारा निर्धारित 3 क्रेडिट का एक रोजगार परक विषय का चयन करेगा ।

रोजगार परक विषयों की प्रस्तावित सूची निम्नलिखित है:

1. Advertising Management
2. Introduction to MS Office
3. News reporting and editing
4. Positive Psychology and Counselling
5. Office Management and Secretarial Practice
6. Basics of 3D animation
7. NCC
8. Animal Husbandry and Dairying
9. Basics of any Indian/ Foreign language
10. Industrial Law

विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदनोपरांत महाविद्यालय 3 क्रेडिट के कोई अन्य विषय भी लागू कर सकता है :

प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा एक co-curricular विषय का चयन किया जाएगा।

1. खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता
2. प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
3. शारीरिक शिक्षा एवं योग
4. मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन
5. विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेश
6. संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास
7. चरित्र निर्माण

- स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (6 सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा।
- हर सह–विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होगें, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नही किया जायेगा।

शोध परियोजना (Research Project)

- विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम में वृहद शोध परियोजना करनी होगी।
- यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/ इर्न्टरनशिप/सर्वे इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबन्ध (Report/Dissertation) जमा करेगा जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में किया जायेगा।
- स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नही किया जायेगा।

स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश, निकास और पुनः प्रवेश प्रक्रिया

- स्नातक कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (2 सेमेस्टर) के 46 क्रेडिट होंगे एवं 2 सेमेस्टर पूर्ण करने पर विद्यार्थी Certificate के साथ निकास कर सकता है और दो वर्ष (4 सेमेस्टर) के 92 क्रेडिट होंगे जिसे पूर्ण पर डिप्लोमा के साथ निकास कर सकता है।
- विद्यार्थी के तीन वर्ष (6 सेमेस्टर) के 138 क्रेडिट होंगें जिसे पूर्ण करने पर बैचलर डिग्री प्रदान की जाएगी।
- विद्यार्थी को निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- विद्यार्थी को निर्धारित Pre-requisite और सीटों की उपलब्धता के आधार पर दूसरे/तीसरे वर्ष में सशर्त विषय परिवर्तन की अनुमति दी सकती है।

पाठ्यक्रम क्रेडिट वितरण सेमेस्टर–वार

New Proposed Year-wise Structure of UG/PG Programs

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Project	Credits		(Min.-Max. Total Credits) After completion [Minimum Credits] [Max Duration in years]
		Major 4/5/6 Credits	Major 4/5/6 Credits	Major 4/5/6 Credits	Minor/ Elective 4/5/6 Credits	Minor 3 Credits	Minor 2 Credits	Major 3/6/8 Credits			
Year	Sem	Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Other Faculty	Vocational Faculty	Co-Curricular Course	Inter/Intra Faculty related to main Subject	Total	Min - Max. of the semester/ year	
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		18/16 (5/6)+3+2	23-29	(50-52) [46] [4] Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1		18/16 (4/5/6)+3+2	23-29 (50-52)	
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		18/16 (4/5/6)+3+2	23-29	(100-104) [92] [7] Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1		18/16 (4/5/6)+3+2	23-29 (50-52)	
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (3)	20+3+2	25	(150-154) [138] [10] Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (3)	20+3+2	25 (50)	
4	VII	Th-3(5) or Th-3(4)+ Pract-1(4)			1(4/5/6)			1 (6)	20+(0/4/5/6)+6	26-32	(206-212) [194] [12] Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+(0/4/5/6)+6	26-32 (56-58)	
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+6	26	(258-264) [246] [16] Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+6	26 (52)	
6	XI	2 (8)	1 Research (4) Methodology					1 (8)	16+8		(270) [4] PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D. Research			Ph.D. in Subject

भवदीया

प्रो0(अन्शू यादव) 6/7

डीन अकेडमिक्स

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, माननीया कुलपति महोदया के अवलोकनार्थ
2. वैयक्तिक सहायक, /कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
3. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होन पेज पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीया

प्रो0(अन्शू यादव)

डीन अकेडमिक्स

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1815 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति**
   समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।

2. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2021**

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम में कौशल विकास कार्यक्रमों तथा एन.सी.सी को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में मौलिक और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। छात्रों में भारतीय होने का गर्व विचार में ही नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों के साथ–साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों तथा सोच में भी होना चाहिए। इसकी प्रतिपूर्ति पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी) को वैकल्पिक विषय पेपर के रुप में शामिल करने से हो सकती है। छात्रों में अनुशासन, देश–प्रेम की भावना विकसित करने के साथ–साथ "राष्ट्रीय केडेट कोर" उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद करती है। देखा गया है कि कुछ योग्य विद्यार्थी इसे लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें इससे उनके अध्ययन प्रभावित होने का डर होता है । अतः निर्णय लिया गया है कि एन.सी.सी. को वैकल्पिक विषय / पेपर के रुप में पढ़ाने से इसकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का अध्ययन भार भी कम होगा।

2– उक्त के आलोक में राष्ट्रीय केडेट कोर (एन.सी.सी) को आगामी सत्र से उ0प्र0 के सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में वैकल्पिक विषय (लघु Minor) / पेपर के रुप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा ।

3– उक्त वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें एन.सी.सी. निदेशालय, राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम समिति के प्रतिनिधि एवं ए.एन.ओ को सम्मिलित किया गया है। समिति शीघ्र ही एन.सी.सी.–वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम उपलब्ध करायेगी। विश्वविद्यालयों द्वारा एन.सी.सी.–वैकल्पिक विषय (लघु Minor) के लिये बनाई गई विद्धत सभा (BoS) में ए.डी.जी., एन.सी.सी. निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा एक ए.एन.ओ को भी रखा जायेगा।

Nikhil G.O.

4– आरम्भ में एन.सी.सी.–वैकल्पिक विषय (लघु Minor) सिर्फ एन.सी.सी. कैडेट के लिये ही उपलब्ध होगा, परन्तु कालांतर में संसाधनों के दृष्टिगत सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तद्नुसार पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में उ0प्र0 के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 लागू किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या–1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 20.04.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त के आलोक में राष्ट्रीय केडेट कोर (एन.सी.सी) को आगामी सत्र से पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय (लघु Minor)/पेपर के रुप में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया,

9/8

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1015 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
3– मेजर जनरल राकेश राणा, अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, उ0प्र0।
4– ले0 कर्नल अशोक मोर, आई0आई0टी0, कानपुर उ0प्र0।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1969/सत्तर–3–2021
लखनऊ:: दिनांक 18 अगस्त, 2021

1– **कुलपति**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– **निदेशक**,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विभिन्न स्नातक छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तत्क्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों के लिये रोजगार परक पाठ्यक्रमों की समुचित व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 एवं पत्र संख्या– 1567/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011टी.सी. दिनॉक 13–07–2021 के क्रम में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं–

1. समझौता ज्ञापन (MoU)

1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के कम में विश्वविद्यालय एवं कालेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने अपेक्षित हैं।

1.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठयक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉलीटैक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे ।

1.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठयक्रमों/प्रशिक्षण/इन्र्टरनशिप के लिये शिक्षण संस्थान संम्बंधित विभागों से समन्वय करगें ।

1.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।

1.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्र्टरनशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

2. समय सारणी

प्रशिक्षण/इन्र्टरनशिप अवकाश के समय अथवा कालेज समय–सारणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

कालेज समय–सारणी में इन कोर्स को यथा संम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते है।

3. सीट निर्धारण

कालेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठयक्रम तैयार किये जाये तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा।

4. परीक्षा

4.1 थ्योरी/समान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी ।

4.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इन्र्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं ।

4.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्र्तगत कालेज द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।

4.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।

4.5 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/कालेज एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रुप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं ।

5. पाठ्यक्रम

5.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्धुत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

5.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेन्ट काउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।

5.3 जिन ट्रेड में यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0/स्किल डवलपमेंट काउसिंल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इर्न्टनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके ।

5.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासन करेगा ।

5.5 समान्य/थ्योरी पाठयक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घंटो का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठयक्रम में 15 घंट की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी ।

6. पाठ्यक्रम का प्रकार

6.1 पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं–

6.1.2 Individual nature – एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

6.1.3 Progressive nature – एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ-बढती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सके।

6.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे ।

7. क्रेडिट

रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रम का चुनाव कर सकते है तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1969 (1)/सत्तर–3–2021, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Format for syllabus development of Skill development course

Title of course-	
Nodal Department of HEI to run course	
Broad Area/Sector-	
Sub Sector-	
Nature of course - Independent / Progressive	
Name of suggestive Sector Skill Council	
Aliened NSQF level	
Expected fees of the course –Free/Paid	
Stipend to student expected from industry	
Number of Seats-…………	Credits- 03 (1 Theory, 2 Practical)
Course Code-…………..	
Max Marks…100…… Minimum Marks………	
Name of proposed skill Partner (Please specify, Name of industry, company etc for Practical /training/ internship/OJT	
Job prospects-Expected Fields of Occupation where student will be able to get job after completing this course in (Please specify name/type of industry, company etc.)	

Syllabus

Unit	Topics	General/ Skill component	Theory/ Practical/ OJT/ Internship/ Training	No of theory hours (Total-15 Hours=1 credit)	No of skill Hours (Total-60 Hours=2 credits)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					

Suggested Readings:

Suggested Digital platforms/ web links for reading-

Suggested OJT/ Internship/ Training/ Skill partner

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Course Pre-requisites:

- No pre-requisite required, open to all
- To study this course, a student must have the subject ……….. in class/12th/ certificate/diploma
- If progressive, to study this course a student must have passed previous courses of this series.

Suggested equivalent online courses:

Any remarks/ suggestions:

Notes:

- Number of units in Theory/Practical may vary as per need
- Total credits/semester-3 (it can be more credits, but students will get only 3credit/ semester or 6credits/ year
- Credits for Theory =01 (Teaching Hours = 15)
- Credits for Internship/OJT/Training/Practical = 02 (Training Hours = 60)

विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम

Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur			
Details Of Vocational Courses For College			
Sl.No.	**Name of Vocational Course**	**Course Duration**	**No. of Semester**
1	Advertising	6 months	one
2	Office Automation using MS Office	1 year	two
3	Positive Psychology and Counselling	6 months	one
4	Media Reporting and Editing	6 months	one
5	Basics of 3D Animation	6 months	one
6	Functional English	1 Year	Two
7	Investment Management	2 Year	Four
8	Laboratory Techniques in Chemistry	1 Year	Two
9	Laboratory Techniques in Physics	1 Year	Two
10	Laboratory Techniques in Life Sciences	1 Year	Two
11	School Psychology	1 Year	Two
12	Disaster Management	1 Year	Two
13	Food processing and preservation	1 Year	Two
14	Yoga and Naturopathy	1 Year	Two
15	Computer Applications	1 Year	Two
16	Footwear designing and technology	1 Year	Two
17	Physical Education and Sports	1 Year	Two
18	Srajanatmak lekhan Hindi	1 Year	Two
19	German Language I	6 months	one
20	German Language II	6 months	one
21	News Reporting and Editing	2 Year	Four
22	Dress designing and Tailoring	6 months	one
23	Journalism and Mass Communication	2 Year	Four
24	Office Management and Computer Application	1 Year	Two
25	Nutrition and Physiotherapy	1 Year	Two
26	Preparation of Household Cleaning Agents and Disinfectant	1 Year	Two

27	Drawing & Painting	1 Year	Two
28	Assistant Beauty Therapist	1 Year	Two
29	IT enabled services & Web Technology	2 Year	Four
30	Desktop publishing diploma	1 Year	Two
31	Biotechnology	1 Year	Two
32	Tourism & Travel Management	1 Year	Two
33	Fashion Designing	1 Year	Two
34	Art & Design	1 Year	Two
35	Mobile App Development	2 Years	Four
36	Python Mastery	2 Years	Four
37	Leadership Management	1 Years	Two
38	Master Communication in Modern world	1 Years	Two
39	Communication in Professional world	1 Years	Two
40	Data Science using Python	6 Months	one

29-30 in DG College

31-34 in Brahispati college

परीक्षा

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी.सी.
लखनऊः: दिनांक– २६ अगस्त, 2021

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधियों के सम्बन्ध में।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए छात्रों का समयबद्ध, सतत एवं पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में कतिपंय मार्गदर्शी सिद्धान्त नीचे उल्लिखित किए जा रहे है। ज्ञातव्य हो कि ये सिद्धान्त मात्र सांकेतिक/परिचायक (indicative) हैं। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कृपया इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर Academic Council, Executive Council आदि में गहन विचार–विमर्श करके छात्र मूल्यांकन के मानक और विधियाँ निर्धारित कर लें। Semester-end exam के अतिरिक्त continuous and comprehensive evaluation अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। किस मानक (parameter) को कितनी weightage दी जानी चाहिए, उसका आंकलन करने के लिए क्या प्रक्रिया एवं व्यवस्था बनायी जानी चाहिए, इन बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारियों के स्तर पर चर्चा कर विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाना अपेक्षित हैं।

2. छात्र मूल्यांकन सतत, व्यापक एवं समग्र होना चाहिए। यह मूल्यांकन निम्न मानकों पर किया जा सकता है:–

i. शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic assessment)
ii. कौशल मूल्यांकन (Skill assessment)
iii. शारीरिक मूल्यांकन (Physical assessment)
iv. व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality assessment)
v. बहिमुर्खी मूल्यांकन (Extracurricular assessment)
vi. स्वमूल्यांकन (Self assessment)

(i) **शैक्षणिक मूल्यांकनः–**

(क) सतत आंतरिक मूल्यांकनः (Continuous Internal Assessment)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन में शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य कराए जाने चाहिए जिससे छात्रों का बहुमुखी विकास हो। उदाहरण के लिए project, seminar, role play, quiz, puzzle, test, pratical, survey, book review, student

parliament, screenplay, essay, exhibition, fair, educational, visit आदि कार्यो को सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।

आंतरिक मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं/प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें छात्र उपस्थिति (विशेषकर राष्ट्रीय पर्वो व अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर) एवं विभिन्न सामाजिक कार्यो में प्रतिभागिता आदि को सम्मिलित किया जा सकता हैं।

(ख) बाहरी मूल्यांकनः– बाहरी मूल्यांकन का कार्य सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) कौशल मूल्यांकन :–

कौशल से सम्बन्धित विषय का मूल्यांकन सम्बन्धित उद्योग तथा उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। चूँकि कौशल विकास में ट्रेनिंग का अधिक महत्व है, अतः ट्रेनिंग से सम्बन्धित कार्य को 60% तथा परीक्षा (theoretical knowledge) को 40% के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है।

(क) उद्योग द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन– इसमें कार्यस्थल पर ट्रेनिंग, उद्योग में ट्रेनिंग, internship, apprenticeship, field work आदि कार्य कराए जा सकते है।

(ख) सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन– परीक्षा का कार्य सम्बन्धित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा किए जाएगा जिसमें वे लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते है।

महाविद्यालय विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करके कौशल विकास उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित कर सकते है।

(iii) व्यक्तित्व मूल्यांकन :–

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर उच्च शिक्षण संस्थानों को ध्यान देना होगा तथा निम्न कार्यो के द्वारा व्यक्तित्व विकास तथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता हैः– भाषा (language) एवं सॉफ्ट स्किल (soft- skill), grooming, mock interview, social skill, राष्ट्रीय पर्वो एवं विशिष्ट दिवसों में प्रतिभागिता, आदि।

विद्यार्थियो द्वारा सांस्कृतिक, अकादमिक, रचनात्मक या सामाजिक क्षेत्रों में से किसी एक में अपनी रूचि अनुसार कार्य किया जा सकता है।

(iv) शारीरिक मूल्यांकनः–

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, इसलिए शारीरिक क्षमता विकसित करने की दिशा में समय समय पर इसका मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जा सकता हैः– खेल गतिविधियां, योग, स्वास्थ्य परीक्षण (health checkups), मनोवैज्ञानिक क्षमता, आदि।

प्रवेश के समय विद्यार्थियों द्वारा किसी खेल का चयन किया जा सकता है तथा संस्थान द्वारा विभिन्न स्पर्धाओं के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

(v) बहिर्मुखी मूल्यांकनः–

शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकार की co-curricular एवं extra-curricular गतिविधियां लगातार संचालित होती रहती है, जिससे छात्र की प्रतिभा का पता लगता

है। शिक्षा संस्थानों को ऐसी सभी extra-curricular गतिविधियों का मूल्यांकन कर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि संभव हो, तो इनके परिणाम को भी मार्कशीट में अंकित करने पर विचार किया जा सकता है।

(Vi) स्वमूल्यांकन :–

छात्रों का आत्मबल बढाने के लिए उन्हें स्व मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। यदि यह स्व–मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से स्व निर्देशात्मक सामग्री (auto-instructional material) के अन्तर्गत हो सके, तो इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी, और छात्र को भी अपने सही स्तर की जानकारी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जब छात्र कोई ई–कन्टेन्ट ऑनलाइन सामग्री पढ़ता है, तो उसके बाद उसे सम्बन्धित ई–कंटेन्ट के चार–पॉच प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी वह अगला ई–कंटेन्ट तथा चैप्टर पढ़ सकेगा, इसे पूर्व ज्ञान (prerequisite knowledge) की तरह भी देखा जा सकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2021–22 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। मूल्यांकन के उपरोक्त पहलुओं को indicative (not exhaustive) मानते हुए अनुरोध है कि छात्र मूल्यांकन हेतु मानक, उनके वेटेज, उनके आकलन की प्रक्रिया आदि का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा अविलम्ब कर लिया जाय और छात्रों को समय से इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाय ताकि पारदर्शिता एवं एकरूपता बनी रहे।

भवदीया,

मोनिका एस0 गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–258 / सत्तर–3–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

(पूर्ववर्ती कानपुर विष्वविद्यालय कानपुर)

Formerly Kanpur University, Kanpur 208024

अकादमिक कार्यालय

Academic Office

Email: dean_acad@csjmu.ac.in

पत्रांक : सीएसजेएमयू/अकादमिक/417/2023 दिनांक:17.04.2023

Guidelines for PG Research Dissertation/Report as per NEP

This is with regard to the research dissertation/report that is to be submitted for the partial fulfillment of the Masters courses under the regulations of NEP-2020. Concerned affiliated colleges, University departments, Faculty Members/Supervisors, and students are expected to adhere to the following guidelines for the same.

1. Students may select any topic of Research Dissertation related to their syllabus after discussing with the supervisor.
2. Evaluation of the dissertation at the end of second semester (first year) will be done by a committee comprising of atleast one internal expert (from same/other college) that will be approved by the college authorities (Principal/Head of Department). Evaluation of internal marks (25 percent) will be done by the internal committee and the remaining (75 percent) will be done by end semester viva and / or presentation in the presence of an internal expert as approved by the college authorities.
3. For the Ist year of PG, the evaluation at end of year (End semester assessment of 75 marks), may be done by the internal experts, however for the 2nd (final) year of PG programs under NEP, one external member (as approved by the University, through the subject Convenor), will have to be a part of the evaluation committee.
4. All dissertations/reports have to be typed in Times New Roman, font size 12, and are to be submitted before the end-semester exams of the final year.
5. Students are advised to submit three (03) copies (one copy each for the student, the supervisor, and library) of their (preferably typed) dissertation in spiral or hard bound format.
6. All colleges are advised to keep one copy of all student dissertations in their library so as to maintain proper records for any audits in future.

(Dean Academics)

17.04.2023

परिणाम

संख्या– 1032 / सत्तर–3–2022–08(35) / 2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. निदेशक
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2022

विषयः– स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 में लागू कर दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1567 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था तथा विद्यार्थियों का एक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानान्तरणं किये जाने के दृष्टिगत स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों पर आधारित NEP-2020 के अन्तर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु **ग्रेडिंग प्रणाली** लागू किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं, जिन्हे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके NEP-2020 के अन्तर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,
19/4
(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1032 / सत्तर–3–2022–तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
3– प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र०।
4– डॉ0 दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु०मा० कन्या पी०जी० राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

NEP-2020 के अंतर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों में लागू की गई है। इस हेतु शासनादेश संख्या 1567/ सत्तर-3-2021-16 (26)-2011 टी.सी. दिनांक 13 जुलाई 2021 के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। अतः स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो यूजीसी के दिशा निर्देशो पर आधारित है।

तलिका–1 (Table-1)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

2.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें।

2.4 चार कौशल विकास कोर्स (Skill development/ Vocational courses) भी Credit course हैं तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगें। शासनादेश संख्या 2058/सत्तर-3-2021-08(33)-2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल

विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/ प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे । प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे ।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक **(Grace marks)** नहीं दिये जायेगें।

3. <u>कक्षोन्नति (Promotion)</u>

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

3.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तो के साथ दी जायेगी :–

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा (ब) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर) के Major विषयों (तीन मुख्य विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में तथा दो मुख्य विषय तृतीय वर्ष में) के सभी पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

3.3 द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (required) 46 क्रेडिट्स के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying (सह–पाठ्यक्रम) पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। किंतु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक, चाहे कितनी भी बार दे सकता है। किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्याः– (Explanation) यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा

लेकर चला जाता है, तो वह बाकी के वर्षो की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षो की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6. CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:

jth सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) =$\sum$(Ci x Gi) /$\sum$Ci	यहाँ परः Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = $\sum$(Cj x Sj) /$\sum$Cj	यहाँ परः Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा:

समतुल्य प्रतिशत =CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

तलिका–2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1816 /सत्तर–3–2021

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2021**

विषयः– प्रदेश–स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स– ABACUS-UP के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा National Academic Bank of Credit संचालित किया जा रहा है। यह सुविधा A-grade संस्थानों, Institutes of Excellence तथा अन्य उत्कृष्ट उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय इस श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः प्रदेश के छात्रों को Credit Transfer तथा Exit एवं Re-entry की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश–स्तरीय Academic Bank of Credit को विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, उपकरण, शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत अगले शैक्षिक सत्र से प्रवेश पाने वाले छात्रों का डेटाबेस भी तैयार किया जायेगा। इस प्लेटफार्म का सॉफ्टवेयर पिछले 4–6 महीनों में NIC के सहयोग से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उपलब्ध विशेषज्ञों एवं शिक्षकों के निर्देशन में तैयार किया गया है। इसका नाम ABACUS-UP रखा गया है:–

ABACUS-UP- Academic Bank for College and University Students of Uttar Pradesh

2– उद्देश्य

- ABACUS-UP के द्वारा विद्यार्थी आसानी से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में क्रेडिट स्थानांतरित कर सकेंगे तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में भी परिवर्तन आसान होगा ।
- ABACUS-UP से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पारदर्शिता सुनश्चित होगी ।
- सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के उपकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की सूचना ABACUS-UP पर उपलब्ध होने से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मध्य रिसोर्स शेयरिंग सम्भव होगी ।
- ABACUS-UP के माध्यम से डिजी–लॉकर पर विद्यार्थियों को सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, अंकपत्र इत्यादि प्राप्त होंगें ।
- ABACUS-UP के परिक्षेत्र में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय आयेंगे, तथा क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को होगी ।

Nikhil G.O.

3– डाटा रिसोर्स सेंन्टर

- विद्यार्थियों की सहायता के लिये राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित **ई–लर्निंग पार्क** का उपयोग डाटा रिर्सोस सेंन्टर के रुप में किया जायेगा।
- अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय विद्यार्थियों की सहायता के लिये डाटा रिर्सोस सेंन्टर की स्थापना करेंगे। उनके विद्यार्थी अपने निकटस्थ राजकीय महाविद्यालय में स्थापित ई–लर्निंग पार्क का भी उपयोग ABACUS-UP के कार्यो हेतु कर सकते हैं।
- राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा अपने Student Information Management System/Learning Management System विकसित किए गए हैं/किए जा सकते हैं और उसे ABACUS-UP से integrate किया जा सकता है।

4– **ABACUS-UP के उपयोग की प्रकिया**

- ABACUS-UP में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक, तथा विद्यार्थी हितधारक होंगे ।
- ABACUS-UP के संचालन एवं गोपनीयता की समस्त जिम्मेदारी संबधित कुलसचिव/प्राचार्य तथा उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी की होगी । कुलसचिव/प्राचार्य अपनी सुविधा के लिये कम्पयूटर कार्य में प्रवीण परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव/स्थायी शिक्षक को ले सकते हैं । किसी भी परिस्थिति में अस्थायी व्यक्ति/शिक्षक को ABACUS-UP के संचालन की जिम्मेदारी नहीं दी जायेगी किन्तु उनसे कम्पयूटर आपरेशन में मदद ली जा सकती है। निजी विश्वविद्यालय के कुलपति तथा प्राईवेट एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के प्रबंधक/सचिव ABACUS-UP के संचालन हेतु जिम्मेदार होगें।
- ABACUS-UP के संचालन हेतु सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कुलपति/कुलसचिव/प्राचार्य के नाम से एक मोबाईल नम्बर लिया जायेगा तथा एक संस्थान की एक ई–मेल आई.डी. (जैसे– abacus.up@.....HEI web address) तैयार करायी जायेगी। उनके स्थानांतरण/सेवानिवृत्त आदि की स्थिति में मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. नये कुलपति/कुलसचिव/प्राचार्य को हस्तानांतरित की जायेगी।
- विषम परिस्थतियों में मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. परिवर्तन की स्थिति में विश्वविद्यालय ABACUS-UP के एडमिन से तथा महाविद्यालय संम्बंधित विश्वविद्यालय से ई–मेल द्वारा परिवर्तन हेतु लिखित आवेदन करेंगे ।
- कुलसचिव/प्राचार्य अपने नोडल अधिकारी का परिवर्तन अपने ABACUS-UPलॉगइन से कर सकेंगे ।
- नए विश्वविद्यालय बनने अथवा विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति में अबेकस–यू.पी. के एडमिन एवं एन.आई.सी.उसमें परिवर्तन करेंगे ।

University login	ABACUS UP login	College login	Teacher login	Student login
• VC login	• Admin	• Management login		
• Registrar login	• UPSHEC	• Principal login		
• Nodal officer login	• Director-HE	• Nodal officer login		
	• RHEO (9)			

5– **विश्वविद्यालय पंजीकरण प्रक्रिया–**

- सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के कुलसचिव अपना मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल (ABACUS-UP हेतु लिया गया) के द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट (*http://abacus.upsdc.gov.in*) के *"University*

Registration" पर जाकर पंजीकृत करेंगे । पंजीकरण के पश्चात मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल से प्राप्त ओ.टी.पी. के द्वारा लॉग–इन करेंगे ।

- पंजीकरण के पश्चात वे अपना नया पासवर्ड तैयार कर सुरक्षित रखेंगे ।
- लॉग–इन के पश्चात अपने विश्वविद्यालय का नाम चुनकर वांछित सूचनायें तथा अपने नोडल अधिकारी का विवरण भरकर सबमिट करेंगे।
- विश्वविद्यालय कुलसचिव द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन उस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया जायेगा । यदि कोई सूचना गलत होती है तो कुलसचिव को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर उसकी सूचना पुहंच जायेगी तथा कुलसचिव द्वारा लॉग–इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा । सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना कुलसचिव/नोडल अधिकारी को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर दी जायेगी ।
- इसके बाद संम्बंधित महाविद्यालय अपने को ABACUS-UP की वेबसाईट पर उक्तवत् पंजीकृत करेंगे।
- विश्वविद्यालय अपनी लॉग–इन पर संम्बधित महाविद्यालयों की प्रगति देख सकेंगे तथा समयार्न्तगत सभी महाविद्यालयों का पंजीकरण सुनश्चित करायेंगे ।
- विश्वविद्यालय द्वारा एन.आई.सी. के निर्देशन/माध्यम से क्लाउड /सर्वर पर स्पेस का क्रय किया जायेगा।

6– महाविद्यालय पंजीकरण प्रक्रिया–

- महाविद्यालय के प्राचार्य अपना मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल (ABACUS-UP हेतु लिया गया) के द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट (*http://abacus.upsdc.gov.in*) के *"College Registration"* पर जाकर पंजीकृत करेंगे । पंजीकरण के पश्चात मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल प्राप्त ओ.टी.पी. के द्वारा लॉग–इन करेंगे ।
- पंजीकरण के पश्चात वे अपना नया पासवर्ड तैयार कर सुरक्षित रखेंगे ।
- लॉग–इन के पश्चात अपने महाविद्यालय के नाम चुनकर वांछित सूचनायें तथा अपने नोडल अधिकारी का विवरण भरकर सबमिट करेंगे।
- **राजकीय महाविद्यालय** के प्राचार्य द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन निदेशक, उच्चशिक्षा द्वारा किया जायेगा । यदि कोई सूचना गलत होती है तो प्राचार्य को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर उसकी सूचना पुहंच जायेगी तथा प्राचार्य द्वारा लॉग–इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा । सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना प्राचार्य/नोडल अधिकारी को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर दी जायेगी।
- **अनुदानित महाविद्यालय** के प्राचार्य द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन प्रथम स्तर पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा द्वितीय स्तर पर निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा किया जायेगा । यदि कोई सूचना गलत होती है तो प्राचार्य को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर उसकी सूचना पहुंच जायेगी तथा प्राचार्य द्वारा लॉग–इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा । सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना प्राचार्य/नोडल अधिकारी को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर दी जायेगी ।
- **स्वायत्त महाविद्यालय (Autonomous colleges)** के प्राचार्य द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन प्रथम स्तर पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा द्वितीय स्तर पर निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा किया जायेगा । यदि कोई सूचना गलत होती है तो प्राचार्य को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर उसकी सूचना पुहंच जायेगी तथा प्राचार्य द्वारा लॉग–इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा । सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना प्राचार्य/नोडल अधिकारी को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर दी जायेगी ।

Nikhil G.O.

- **स्ववित्त पोषित महाविद्यालय** के प्राचार्य द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन प्रथम स्तर पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा तथा द्वितीय स्तर पर निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सूचना गलत होती है तो प्राचार्य को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर उसकी सूचना पुहंच जायेगी तथा प्राचार्य द्वारा लॉग–इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा । सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना प्राचार्य/नोडल अधिकारी को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर दी जायेगी ।

7– विश्वविद्यालय कैम्पस पंजीकरण प्रक्रिया–

- पंजीकरण हेतु विश्वविद्यालय के एक कैम्पस को एक महाविद्यालय इकाई जैसा माना जायेगा ।
- शिक्षण/अकादमिक कार्यो के लिये विश्वविद्यालय कैम्पस उपरोक्त महाविद्यालय पंजीकरण प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करेंगे ।
- सम्बंधित विश्वविद्यालय के कुलपति एक वरिष्ठ आचार्य (प्राचार्य के स्थान पर) को नामित करेंगे तथा वे उपरोक्त महाविद्यालय पंजीकरण प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करेंगे तथा उनका सत्यापन कुलसचिव करेंगे ।

8– विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय द्वारा विस्तृत डाटा अपलोड किया जाना–

- पंजीकरण प्रक्रिया के पश्चात विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय अपने आधारभूत संरचना, शिक्षक, विभाग,पाठ्यक्रम,विषय आदि का विस्तृत डाटा अपलोड करेंगे ।
- संस्थानों द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः–

पंजीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं को अपलोड करने की प्रक्रिया–

क0सं0	उच्च शिक्षण संस्थान का प्रकार	डाटा अपलोडिंग	डाटा सत्यापन–प्रथम स्तर	डाटा सत्यापन– द्वितीय स्तर
1	राज्य विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कैम्पस	कुलसचिव	कुलपति	
2	प्राईवेट विश्वविद्यालय	कुलसचिव	निदेशक	उ.प्र. राज्य उच्चशिक्षापरिषद
3	राजकीय महाविद्यालय	प्राचार्य	निदेशक, उच्चशिक्षा	
4	अनुदानित महाविद्यालय	प्राचार्य	कुलसचिव	निदेशक, उच्च शिक्षा
5	स्वायत्त महाविद्यालय	प्राचार्य	कुलसचिव	निदेशक, उच्च शिक्षा
6	स्ववित्तपोषितमहाविद्यालय	प्रबंधक/सचिव	कुलसचिव	निदेशक, उच्च शिक्षा

9– **शिक्षक पंजीकरण–**

- विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय के शिक्षक अपने मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल के द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट(*http://abacus.upsdc.gov.in*) के *"Teacher Registration"* पर जाकर पंजीकृत करेंगे । पंजीकरण के पश्चात मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल प्राप्त ओ.टी.पी. के द्वारा लॉग–इन करेंगे ।
- पंजीकरण के पश्चात वे अपना नया पासवर्ड तैयार कर सुरक्षित रखेंगे ।
- लॉग–इन के पश्चात शिक्षक अपने विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय का नाम चुनकर वांछित सूचनायें भरकर सबमिट करेंगे।
- विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन निम्न तालिका में वर्णित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा । यदि कोई सूचना गलत होती है तो शिक्षक को मोबाईल नम्बंर एव ई–मेल पर उसकी सूचना पहुँच जायेगी तथा शिक्षक द्वारा

Nikhil G.O.

लॉग–इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा । सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना शिक्षक को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर दी जायेगी।

- विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय के शिक्षक अपनी लॉग इन द्वारा अपना विस्तृत डाटा अपलोड करेंगे।
- शिक्षक द्वारा भरे गये डाटा का सत्यापन निम्न तालिका में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा द्वारा किया जायेगा।
- शिक्षक के मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई डी बदलने, पासवर्ड री–सेट की प्रक्रिया संम्बंधित विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय द्वारा की जायेगी ।
- शिक्षक के स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि की स्थिति में संम्बंधित विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय द्वारा उनकी लॉगइन आईडी को बंद अथवा चालू किया जा सकता है ।

शिक्षकों का डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया :–

क0 स0	उच्च शिक्षण संस्थान का प्रकार	डाटा अपलोडिंग	डाटा सत्यापन– प्रथम स्तर	डाटा सत्यापन– द्वितीय स्तर	डाटा सत्यापन– तृतीय स्तर
1	राज्य विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कैम्पस	शिक्षक	कुलसचिव	कुलपति	
2	प्राईवेट विश्वविद्यालय	शिक्षक	कुलसचिव	कुलपति	उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्
3	राजकीय महाविद्यालय	शिक्षक	प्राचार्य	निदेशक	
4	अनुदानित महाविद्यालय	शिक्षक	प्रबंधक	निदेशक	कुलसचिव
5	स्वायत्त महाविद्यालय	शिक्षक	प्रबंधक	कुलसचिव	निदेशक
6	स्ववित्तपोषितमहाविद्यालय	शिक्षक	प्रबंधक	कुलसचिव	निदेशक

10– छात्र पंजीकरण–

- विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल के द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट (*http://abacus.upsdc.gov.in*) के *"Student Registration"* पर जाकर पंजीकृत करेंगे । पंजीकरण के पश्चात मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल प्राप्त ओ.टी.पी. के द्वारा लॉग–इन करेंगे ।
- पंजीकरण के पश्चात वे अपना नया पासवर्ड तैयार कर सुरक्षित रखेंगे ।
- लॉग–इन के पश्चात विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय का नाम चुनकर वांछित सूचनायें भरकर सबमिट करेंगे।
- विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय के विद्यार्थी द्वारा भरी हुई सूचना का सत्यापन निम्न तालिका में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा । यदि कोई सूचना गलत होती है तो, विद्यार्थी को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर उसकी सूचना पुहंच जायेगी तथा विद्यार्थी द्वारा लॉग–इन के माध्यम से उसे सही किया जायेगा । सभी सूचना सही होने पर सत्यापन की सूचना विद्यार्थी को मोबाईल नम्बंर एवं ई–मेल पर दी जायेगी ।
- विद्यार्थी को अपनी लॉग इन के द्वारा क्रेडिट पासबुक, परीक्षा अंक, क्रेडिट ट्रांस्फर आदि की सुविधा होगी।
- विद्यार्थी के मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी बदलने, पासवर्ड री–सेट की प्रक्रिया संम्बंधित विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय द्वारा की जायेगी ।

NNNIGO

विद्यार्थियों का डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया :–

क0सं0	उच्च शिक्षण संस्थान का प्रकार	डाटा अपलोडिंग	डाटा सत्यापन–प्रथम स्तर	डाटा सत्यापन–द्वितीय स्तर	डाटा सत्यापन–तृतीय स्तर
1	राज्य विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कैम्पस	विद्यार्थी	संकायाध्यक्ष	कुलसचिव	
2	प्राईवेट विश्वविद्यालय	विद्यार्थी	संकायाध्यक्ष	कुलसचिव	कुलपति
3	राजकीय महाविद्यालय	विद्यार्थी	प्राचार्य	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	कुलसचिव
4	अनुदानित महाविद्यालय	विद्यार्थी	प्राचार्य	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	कुलसचिव
5	स्वायत्त महाविद्यालय	विद्यार्थी	प्राचार्य	निदेशक	कुलसचिव
6	स्ववित्तपोषितमहाविद्यालय	विद्यार्थी	प्राचार्य	निदेशक	कुलसचिव

11– क्रेडिट, सतत आंतरिक मूल्यॉकन, प्रायोगिक परीक्षा, विश्वविद्यालय परीक्षा–

- सतत आंतरिक मूल्यॉकन के अंक एवं क्रेडिट,संम्बंधित शिक्षक द्वारा अपनी लॉगइन के माध्यम से भरे जायेंगे, जिसका सत्यापन संम्बंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/ महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा । सत्यापन के पश्चात वे विश्वविद्यालय पोर्टल एवं छात्र की लॉगइन में प्रदर्शित होंगे ।
- प्रायेागिक परीक्षा/प्रोजैक्ट के अंक एवं क्रेडिट,आंतरिक परीक्षक की लॉगइन आईडी से भरे जायेंगे, जिसका सत्यापन संम्बंधित वाह्‌य परीक्षक के ओ.टी.पी. (SMS, Email) के द्वारा किया जायेगा । सत्यापन के पश्चात वे अंक विश्वविद्यालय पोर्टल एवं छात्र की लॉगइन में प्रदर्शित होंगे ।
- प्रत्येक सैमस्टर के अंत में विश्वविद्यालयी परीक्षा का परिणाम कुलसचिव/नोडल अधिकारी मूल्यॉकन के पश्चात ABACUS-UP पर अपलोड करायेंगे जिसके बाद वे छात्र एवं संम्बंधित विश्वविद्यालय/ विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय के पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे ।
- ABACUS-UP के साफ्टवेयर द्वारा छात्र का डिजिटल अंकपत्र/ग्रेडपत्र उपलब्ध होगा जिसे विद्यार्थी की लॉगइन के द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा ।
- विद्यार्थी का डिजिटल अंकपत्र/ग्रेडपत्र भारत सरकार के डिजी–लॉकर पर भी ABACUS-UP के द्वारा भेजा जायेगा।

क0 सं0	उच्च शिक्षण संस्थान का प्रकार	आंतरिक मूल्यांकन		सेमेस्टर मूल्यांकन		अंकपत्र सत्यापन
		डाटा अपलोडिंग	सत्यापन	डाटा अपलोडिंग	सत्यापन	
1	राज्य विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कैम्पस	विभागाध्यक्ष	रजिस्ट्रार	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
2	प्राईवेट विश्वविद्यालय	विभागाध्यक्ष	रजिस्ट्रार	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
3	राजकीय महाविद्यालय	विभागाध्यक्ष	प्राचार्य	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
4	अनुदानित महाविद्यालय	विभागाध्यक्ष	प्राचार्य	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
5	स्वायत्त महाविद्यालय	विभागाध्यक्ष	प्राचार्य	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
6	स्ववित्तपोषितमहाविद्यालय	विभागाध्यक्ष	प्राचार्य	परीक्षा नियंत्रक	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार

Nikhil G.O.

12- ABACUS-UP से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण–

- ABACUS-UP के संचालन हेतु राज्य नोडल अधिकारी/ABACUS-UP एडमिन द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलसचिव/नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा । तत्पश्चात विश्वविद्यालयों के कुलसचिव/नोडल अधिकारी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले प्राचार्य/वरिष्ठ आचार्य/नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- विश्वविद्यालय से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण राज्य नोडल अधिकारी/ABACUS-UP एडमिन द्वारा किया जायेगा ।
- विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण संम्बंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
- शिक्षकों एवं छात्रों से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण संम्बंधित विश्वविद्यालय कैम्पस/ महाविद्यालय के प्राचार्य/वरिष्ठ आचार्य/नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

13– महोदय अवगत कराना है कि ABACUS-UP को शीघ्र ही लॉच किया जाना संभावित है, उस समय इस पर सूचनाएं अपलोड किए जाने हेतु निम्न गतिविधियों की समय सारिणी जारी की जाएगी:–

गतिविधियाँ
कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय हेतु मोबाईल न एवं ई–मेल आई.डी. तैयार करना
विश्वविद्यालय द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट पर पंजीकरण
ABACUS-UP का उददघाटन
कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के पंजीकरण का सत्यापन
विश्वविद्यालय कैम्पस /महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट पर पंजीकरण
सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कैम्पस /महाविद्यालय के पंजीकरण का सत्यापन
विश्वविद्यालय द्वारा एन.आई.सी. के निर्देशन/माध्यम से क्लाउड /सर्वर पर स्पेस का क्रय
विश्वविद्यालय द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट पर विस्तृत डाटा भरा जाना
विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट पर विस्तृत डाटा भरा जाना
विश्वविद्यालय द्वारा, विश्वविद्यालय कैम्पस /महाविद्यालय द्वारा भरे गये विस्तृत डाटा का सत्यापन
शिक्षकों द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट पर पंजीकरण एवं विस्तृत डाटा भरा जाना
सम्बंधित विश्वविद्यालय कैम्पस /महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों के पंजीकरण एवं विस्तृत डाटा का सत्यापन
छात्रों द्वारा ABACUS-UP की वेबसाईट पर पंजीकरण प्रारम्भ होना
सम्बंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कैम्पस द्वारा छात्रों के पंजीकरण का सत्यापन

भवदीया,

9/8

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Nishi G.O.

पंजीकरण एवं वांछित सूचनाएं भरने की प्रक्रिया निम्नवत है-

१. महाविद्यालय के विद्यार्थी एबेकस-यूपी पोर्टल के वेबसाइट http://abacus.upsdc.gov.in पर जाकर "स्टूडेंट' (Student) टैब क्लिक करें।

२. इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन (New registration) पर क्लिक करें।

३. अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को नियत स्थान पर भर कर ओटीपी जनरेट करें।

४. मोबाइल / मैसेज में मिले ओटीपी (OTP) को वेरीफाई करें एवं पासवर्ड बनाएं एवं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करें।

५. मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करें एवं वांछित सूचनाएं पूर्ण करें।

६. छात्र-छात्राएं उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दिए गए यूट्यूब लिंक https://youtu.be/uTxE87qSeCY पर अपलोड किये गए वीडियो की सहायता ले सकते हैं।

७. प्रक्रिया पूर्ण करने में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर सहयोग हेतु छात्र-छात्रायें अपने संकाय/विभाग के प्राध्यापकों से भी संपर्क कर सकते हैं।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

संकाय एवं विषय चयन से सम्बंधित प्रश्न

१. संकाय क्या है ?

उत्तर: संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, इत्यादि। बहुविषयकता प्रदान करने हेतु कला संकाय के तीन उप संकाय भाषा संकाय, कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय हैं।

२. कुल कितने संकाय होते हैं ?

उत्तर: विषय वर्गीकरण के आधार पर संकाय को ग्यारह भागों में विभाजित किया गया है यथा भाषा संकाय, कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, विधि संकाय, कृषि संकाय, शिक्षक शिक्षा संकाय, प्रबंधन संकाय, व्यावसायिक अध्ययन संकाय और ग्रामीण विज्ञानं संकाय।

३. क्या प्रत्येक जगह सभी संकाय उपलब्ध होंगे?

उत्तर: नहीं, यह महाविद्यालय की विषय सम्बद्धता पर निर्भर करता है।

४. क्या तीनों वर्ष अध्ययन करने पर ही स्नातक डिग्री प्राप्त होगी?

उत्तर: नयी शिक्षा नीति में केवल प्रथम वर्ष अध्ययन करने पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष अध्ययन करने पर डिप्लोमा, तीन वर्ष अध्ययन करने पर स्नातक डिग्री, केवल परास्नातक प्रथम वर्ष अध्ययन करने पर स्नातक शोध सहित डिग्री तथा परास्नातक दोनों वर्ष अध्ययन करने पर परास्नातक डिग्री प्राप्त होने की व्यवस्था है।

५. स्नातक में प्रथम वर्ष में कुल कितने विषयों का चयन आवश्यक है?

उत्तर: स्नातक में प्रथम वर्ष तीन मेजर विषय, एक माइनर विषय (केवल एक सेमेस्टर), एक कौशल विकास पाठ्यक्रम (एक-एक छमाही के दो पाठ्यक्रम या दो छमाही का एक पाठ्यक्रम) तथा दो सह पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम (प्रति सेमेस्टर एक) का अध्ययन अनिवार्य है।

६. मेजर एवं माइनर विषयों का चयन किस प्रकार करना चाहिए ?

उत्तर: इस हेतु सर्व प्रथम संकाय का चयन किया जाना चाहिए। चयन किया हुआ संकाय विद्यार्थी का स्वयं संकाय कहलाता है। स्वयं संकाय से दो मेजर विषयों का चयन अनिवार्य है तीसरे मेजर विषय का चयन विद्यार्थी अपने या अन्य संकाय से कर सकता है। चौथे माइनर विषय का चयन इस प्रकार किया जाना आवश्यक होता है कि तीसरे मेजर विषय तथा चौथे माइनर विषय में कम से कम एक अन्य संकाय से हो।

७. स्नातक में द्वितीय वर्ष में मेजर और माइनर विषय प्रथम वर्ष के ही होंगे या बदलाव संभव है?

उत्तरः यद्यपि नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष में मेजर विषय के बदलाव की भी अपेक्षा की गयी है परन्तु अत्यधिक छात्र संख्या, अत्यधिक महाविद्यालयों की संख्या, पुनः विषय समूह के सत्यापन की समस्या, विषय के अग्रेतर कठिन होने के कारण द्वितीय वर्ष में विषय बदलाव के कारण छात्रों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय वर्ष में मेजर विषय विषयों को बदलने की अनुमति नहीं है प्रथम वर्ष के मेजर विषय ही द्वितीय वर्ष में मेजर विषय होंगे। जबकि द्वितीय वर्ष में माइनर विषय को बदलने की अनुमति है।

८. स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रत्येक मेजर विषय कितने क्रेडिट का होता है ?

उत्तरः यदि विषय सैद्धांतिक है तो स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रत्येक मेजर विषय 6 क्रेडिट का एक थ्योरेटिकल पेपर होता है तथा यदि विषय प्रायोगिक है तो स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रत्येक मेजर विषय में 4 क्रेडिट का एक थ्योरेटिकल पेपर तथा 2 क्रेडिट का एक प्रैक्टिकल पेपर होता है।

९. स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में माइनर विषय कितने क्रेडिट का होता है?

उत्तरः दोनों ही वर्षों में माइनर विषय 6 क्रेडिट का होता है।

१०. क्या स्नातक द्वितीय वर्ष में कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष का ही लेना अनिवार्य है? प्रति सेमेस्टर कौशल विकास पाठ्यक्रम कितने क्रेडिट का होता है ?

उत्तरः स्नातक प्रथम वर्ष में चयन किये गए कौशल विकास पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कौशल विकास पाठ्यक्रम का चयन स्नातक द्वितीय वर्ष में अनिवार्य है। प्रति सेमेस्टर कौशल विकास पाठ्यक्रम 3 क्रेडिट का होता है।

१२. क्या स्नातक तृतीय वर्ष में माइनर और कौशल विकास पाठ्यक्रम विषयों का अध्ययन करना होता है?

उत्तरः नहीं, स्नातक तृतीय वर्ष में माइनर और कौशल विकास पाठ्यक्रम विषयों का अध्ययन नहीं है।

१३. स्नातक तृतीय वर्ष में कितने मेजर विषयों का अध्ययन करना होता है?

उत्तरः केवल दो मेजर विषयों का।

१४. स्नातक तृतीय वर्ष में दोनों मेजर विषयों का चयन या आबंटन किस प्रकार होता है?

उत्तरः यदि स्नातक द्वितीय वर्ष में तीनों मेजर एक ही संकाय के होते है तो उसमें से दो विषयों को चुनने का विकल्प होता है। यदि स्नातक द्वितीय वर्ष में दो मेजर विषय स्वयं संकाय तथा तीसरा विषय अन्य संकाय का होता है तो स्नातक तृतीय वर्ष में अन्य संकाय का विषय स्वतः हट जाता है और स्वयं संकाय के दोनों विषय शेष रह जाते हैं। स्नातक तृतीय वर्ष में कला संकाय संकाय के सभी उप संकाय एक ही संकाय (कला संकाय) के अंतर्गत माने जाते हैं।

उदाहरणार्थ (i) यदि बी०एससी० द्वितीय वर्ष के विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमैटिक्स हों तो बी०एससी० तृतीय वर्ष में इनमे से किसी दो विषयों को चुनने का विकल्प होगा परन्तु यदि बी०एससी० द्वितीय वर्ष के विषय फिजिक्स, मैथमैटिक्स, इकोनॉमिक्स हों तो बी०एससी० तृतीय वर्ष के दो विषय फिजिक्स, मैथमैटिक्स होंगे।

(ii) यदि बी०ए०-द्वितीय वर्ष के विषय समूह *अंग्रेजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स* या *इतिहास, भूगोल, हिंदी* हों तो बी०ए०-तृतीय वर्ष में इनमे से किन्ही दो विषयों को चुनने का विकल्प होगा परन्तु यदि बी०ए०-द्वितीय वर्ष के विषय अंग्रेजी, हिंदी, मैथमैटिक्स हों तो बी०ए० तृतीय वर्ष के दो विषय अंग्रेजी, हिंदी होंगे।

१५. स्नातक तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक मेजर विषय कितने क्रेडिट का होता है?

उत्तर: स्नातक तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक मेजर विषय 10 क्रेडिट का होता है। यदि विषय सैद्धांतिक है तो मेजर विषय में 5 -5 क्रेडिट का दो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं तथा यदि विषय प्रायोगिक है तो इसमें 4 - 4 क्रेडिट का दो थ्योरेटिकल पेपर तथा 2 क्रेडिट का एक प्रैक्टिकल पेपर होता है।

१६. स्नातक तृतीय वर्ष में दोनों मेजर विषयों के अतिरिक्त और किन विषयों का अध्ययन करना होता है ?

उत्तर: स्नातक तृतीय वर्ष में दोनों मेजर विषयों के अतिरिक्त प्रति सेमेस्टर एक-एक सह पाठ्यचर्या एवं प्रोग्रेसिव रिसर्च प्रोजेक्ट / इंडस्ट्रियल सर्वे / इंटर्नशिप करना होता है।

१७. सम्पूर्ण स्नातक प्रोग्राम के अंतर्गत कितने सह पाठ्यचर्या का अध्ययन करना होता है ?

उत्तर: प्रति सेमेस्टर एक अर्थात कुल छः सह पाठ्यचर्या का अध्ययन सम्पूर्ण स्नातक प्रोग्राम के अंतर्गत करना होता है।

१८. सह पाठ्यचर्या विषय कितने क्रेडिट का होता है ?

उत्तर: सह पाठ्यचर्या विषय में कोई क्रेडिट नहीं होता है यह एक क्वालिफाइंग विषय या पेपर है।

१९. क्या स्नातक तृतीय वर्ष में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट कितने क्रेडिट होता है?

उत्तर: नहीं, स्नातक तृतीय वर्ष में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी कोई क्रेडिट नहीं होता है यह भी एक क्वालिफाइंग विषय या पेपर की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

२०. स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष क्रमशः कितने कितने क्रेडिट का होता है?

उत्तर: स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष क्रमशः 48, 48 और 40 क्रेडिट का होता है।

२१. परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में कुल कितने पेपर होते है तथा कितने कितने क्रेडिट के होते हैं?

उत्तर: यदि विषय सैद्धांतिक है तो परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में 5 -5 क्रेडिट के कुल चार थ्योरेटिकल पेपर होते हैं तथा यदि विषय प्रायोगिक है तो परास्नातक प्रथम

सेमेस्टर में 4 - 4 क्रेडिट के कुल चार थ्योरेटिकल पेपर एवं 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल पेपर होता है। सेमेस्टर प्रथम कुल 20 क्रेडिट का होता है।

२२. परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर में कुल कितने पेपर होते है तथा कितने कितने क्रेडिट के होते हैं?

उत्तरः यदि विषय सैद्धांतिक है तो परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर में 5 -5 क्रेडिट के कुल चार थ्योरेटिकल पेपर, अन्य संकाय के किसी विषय के 4 या 5 क्रेडिट का पेपर (विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित) एवं प्रथम से द्वितीय सेमेस्टर में प्रोग्रेसिव 8 क्रेडिट का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट / डिसर्टेशन / इंडस्ट्रियल सर्वे / इंटर्नशिप होते हैं तथा यदि विषय प्रायोगिक है तो परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर में 4 - 4 क्रेडिट के कुल चार थ्योरेटिकल पेपर, 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल पेपर, अन्य संकाय के किसी विषय के 4 या 5 क्रेडिट का पेपर (विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित) एवं प्रथम से द्वितीय सेमेस्टर में प्रोग्रेसिव 8 क्रेडिट का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट / डिसर्टेशन / इंडस्ट्रियल सर्वे / इंटर्नशिप होता है। सेमेस्टर द्वितीय कुल 32 या 33 क्रेडिट का होता है।

२३. परास्नातक तृतीय सेमेस्टर में कुल कितने पेपर होते है तथा कितने कितने क्रेडिट के होते हैं?

उत्तरः यदि विषय सैद्धांतिक है तो परास्नातक तृतीय सेमेस्टर में 5 -5 क्रेडिट के कुल चार थ्योरेटिकल पेपर होते हैं तथा यदि विषय प्रायोगिक है तो परास्नातक तृतीय सेमेस्टर में 4 - 4 क्रेडिट के कुल चार थ्योरेटिकल पेपर एवं 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल पेपर होता है। सेमेस्टर तृतीय कुल 20 क्रेडिट का होता है।

२४. परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में कुल कितने पेपर होते है तथा कितने कितने क्रेडिट के होते हैं?

उत्तरः यदि विषय सैद्धांतिक है तो परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में 5 -5 क्रेडिट के कुल चार थ्योरेटिकल पेपर एवं तृतीय से चतुर्थ सेमेस्टर में प्रोग्रेसिव 8 क्रेडिट का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट / डिसर्टेशन / इंडस्ट्रियल सर्वे / इंटर्नशिप होते हैं तथा यदि विषय प्रायोगिक है तो परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में 4 - 4 क्रेडिट के कुल चार थ्योरेटिकल पेपर, 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल पेपर एवं तृतीय से चतुर्थ सेमेस्टर में प्रोग्रेसिव 8 क्रेडिट का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट / डिसर्टेशन / इंडस्ट्रियल सर्वे / इंटर्नशिप होता है। सेमेस्टर चतुर्थ कुल 28 क्रेडिट का होता है।

२५ . परास्नातक कुल कितने क्रेडिट का होता हैं?

उत्तरःपरास्नातक कुल 100 या 101 क्रेडिट का होता हैं।

२6. यदि किसी छात्र ने Phy, Chem, Maths, Hindi, English विषयों के साथ 12th किया हो और Maths, Phy में कमजोर हो तो स्नातक (B.Sc.) में कौन से मेजर कौन से माईनर विषय से कर सकता है?

उत्तरः छात्र B.Sc. में Chem व एक अन्य Science का विषय जैसे (Computer Sc.) मेजर के रूप में ले सकता है तथा तीसरा मेजर विषय किसी भी संकाय से ले सकते है। किन्तु इसका ध्यान रखना होगा कि तीनों विषयों में pre-requisit की बाध्यता के

अनुसार आप अर्ह हैं अथवा नहीं तथा वह विषय उस महाविद्यालय में है या नहीं। जबकि माइनर विषय को अपने या अन्य संकाय से ले सकते है इस पर पूर्व-बाध्यता नहीं है।

२७. क्या स्नातक द्वितीय वर्ष में माईनर विषय में परिवर्तित किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, आप परिवर्तन कर सकते हैं किन्तु अगले वर्ष में भी आपको विषय का चयन दी गयी बाध्यता के अनुसार ही करना होगा।

२८. यदि कोई स्नातक छात्र प्रथम वर्ष के माइनर विषय में फेल हो गया हो तो क्या बैक पेपर में माइनर विषय बदल सकता है?

उत्तर: नहीं , बैक पेपर में माइनर विषय बदले की व्यवस्था नहीं है परन्तु द्वितीय वर्ष में माइनर विषय बदल सकता है।

२९. स्नातक पाठ्यक्रम में कुल कितने सह पाठ्यचर्या (को-करीकुलर कोर्स) का अध्ययन अनिवार्य है?

उत्तरः स्नातक पाठ्यक्रम के तीन वर्षो में प्रति सेमेस्टर एक-एक को-करीकुलर कोर्स अर्थात कुल छः अनिवार्य है जो की क्वालीफाइंग है। इसमें प्रति सेमेस्टर पास होने हेतु 75 में 30 तथा 100 में 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

30. स्नातक पाठ्यक्रम में कुल कितने वोकेशनल कोर्स का अध्ययन अनिवार्य है?

उत्तर : स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम दो वर्षों में ६-६ महीने के चार या एक-एक वर्ष के दो या दो वर्ष का एक कौशल विकास पाठ्यक्रम (वोकेशनल कोर्स) का अध्यनन अनिवार्य है। प्रति सेमेस्टर यह तीन क्रेडिट अर्थात कुल बारह क्रेडिट का है। इसमें प्रति सेमेस्टर पास होने हेतु 100 में 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

31. स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष पश्चात पर जो सर्टिफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त होगा वह किस नौकरी के लिए मान्य होगा?

उत्तरः इस सर्टिफिकेट / डिप्लोमा के आधार पर आप उन क्षेत्रों में नौकरी पा सकते है जिनमें आपने कौशल विकास पाठ्यक्रम का अध्यनन किया हो ।

32. प्रायोगिक विषयों (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इत्यादि) के अतिरिक्त गैर प्रायोगिक विषयों में क्या मौखिकी परीक्षा होगी यदि हां तो उसके कितने क्रेडिट होंगे?

उत्तरः साधारणतया प्रायोगिक विषयों (भौतिक विज्ञान , रसायन विज्ञान इत्यादि) में मौखिकी परीक्षा सम्मिलित होता है। गैर प्रायोगिक विषयों में विषय की आवश्यकता अनुसार मौखिकी शासन /विश्वविद्यालय/बोर्ड ऑफ़ स्टडीज के द्वारा सम्मिलित की जाती

है। वर्तमान में स्नातक वाणिज्य षष्टम सेमेस्टर तथा परास्नातक अंग्रेजी के चतुर्थ (समग्र के दशम सेमेस्टर) में यह व्यवस्था है। इसके साथ ही सभी लघु शोध विषयों या डिजर्टेशन इत्यादि के मूल्यांकन में मौखिकी एक भाग हो सकता है।

33. क्या कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई ऑनलाइन कोर्स संचालित किया जा रहा है?

उत्तरः वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, परन्तु भविष्य में यदि ऐसी व्यवस्था विश्वविद्यालय संचालित की जाती है तो इसकी सूचना महाविद्यालयों एवं छात्रों को दी जाएगी जिसके अंतर्गत छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का विकल्प दिया जायेगा जिनमें से विद्यार्थी अपनी रूचि अनुसार चयन कर सकेंगे। यह विकल्प बाह्य संस्थाओं जैसे MOOCS व SWAYAM के भी हो सकते हैं।

34. क्या प्रवेश के एक या दो वर्ष बाद एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर सम्भव है?

उत्तरः हाँ , इस हेतु छात्र को दूसरे विश्वविद्यालय में प्रथम विश्वविद्यालय से प्राप्त सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में प्राप्त क्रेडिट्स को जमा कराकर प्रवेश नियमावली का पालन करते हुए अगले वर्ष में प्रवेश लेना होगा।

35. क्या किसी महाविद्यालय में प्रवेश के एक या दो वर्ष बाद एक ही विश्वविद्यालय के दूसरे महाविद्यालय में ट्रांसफर सम्भव है?

उत्तरः सामान्य परिस्थिति में यह अनुमन्य नहीं है परन्तु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय की अनुमति के पश्चात् संभव है। जिसकी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की प्रवेश विवरणिका में दी गयी है।

36. क्रेडिट क्या है? एक क्रेडिट और एक अंक में क्या सम्बन्ध है?

उत्तरः क्रेडिट किसी पेपर / कोर्स / पाठ्यक्रम का भारांक है। एक क्रेडिट 15 घंटों की सैद्धांतिक कक्षा या 30 घंटों की प्रायोगिक कक्षा के तुल्य है। एक क्रेडिट की कक्षा में पढ़ाई सप्ताह में एक घण्टा सैद्धांतिक अथवा दो घण्टा प्रायोगिक कक्षा के बराबर होगी।

37. क्या अलग-अलग पेपर/विषय/वर्षों में कुछ न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने होंगे या कुल योग के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा?

उत्तरः साधारणतया पेपर/विषय उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक है जो दिनांक 20 अप्रैल 2022 शासनादेश के अनुसार होंगे तथा वर्षोपरान्त उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट है जो की दिनांक 13 जुलाई 2021 के शासनादेश अनुसार अनुमन्य होंगे। जैसे कि एक वर्षीय सर्टिफिकेट के लिए न्यूनतम 46 क्रेडिट, दो वर्षीय डिपलोमा के लिए न्यूनतम 92 क्रेडिट तथा स्नातक डिग्री के लिए 132 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। ऐसे ही आगे के वर्षों के लिए तालिका में निर्धारण दिया हुआ है।

38. यदि किसी विषय में क्रेडिट कम रह जाते हैं तो कैसे पूरे होंगे? क्या कम्पार्टमेन्ट मिलेगा?

उत्तरः हाँ, विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर/कम्पार्टमेन्ट दे कर अपने क्रेडिट अर्जित कर सकता है।

39. किन-किन विषयों में फील्ड वर्क / सर्वे वर्क/ शोध कार्य पूरा करना होगा और इसके क्रेडिट किस प्रकार दिए जाएंगे क्या यह भी अनिवार्य होगा?

उत्तरः उच्च शिक्षा के तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्षो में उपाधि की आवश्यकतानुसार फील्ड वर्क / सर्वे वर्क / शोध कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। यह तृतीय वर्ष में क्वालीफाइंग है तथा इसके क्रेडिट नहीं है। जबकि परास्नातक (चतुर्थ व पंचम वर्ष) यह चार क्रेडिट प्रति सेमेस्टर या आठ क्रेडिट प्रति वर्ष निर्धारित हैं। इसमें प्रति वर्ष उत्तीर्ण होने हेतु 75 में 30 तथा 100 में 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

40. बी0एससी0 के बाद मैं शोध कार्य करना चाहता हूँ इसके लिए मुझे कौन-सा अतिरिक्त पेपर चुनना होगा और स्नातक के किस वर्ष से मैं यह अध्ययन प्रारंभ कर सकता हूँ?

उत्तर: स्नातक के तृतीय वर्ष में शोध प्रारम्भ हो जायेगा। किन्तु परास्नातक (पंचम वर्ष) की उपाधि के बाद ही पीएच०डी०में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

41. क्या इसी शोध के आधार पर मुझे सीधे पीएच० डी० में एडमिशन मिल सकता है यदि हाँ तो कृप्या स्पष्ट करें?

उत्तरः पीएच०डी० में प्रवेश एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलेगा। आपने जो स्नातक स्तर पर शोध किया है, आप उसे स्नातकोत्तर व पीएच०डी० में भी आगे बढ़ा सकते हैं।

42. क्या पीएच० डी० में प्रवेश के लिए कोई राष्ट्र स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और क्या शोध अवधि में मुझे कोई छात्रवृत्ति प्राप्त होगी?

उत्तरः पीएचडी प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, सीधे प्रवेश दे सकता है। पीएच०डी० में छात्रवृत्तियाँ विश्वविद्यालय व अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थायें सदा से ही देती आ रही है।

43. शोधार्थी या सुपरवाइजर के विश्वविद्यालय परिवर्तन होने से शोध कार्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा यदि नहीं तो शोध कार्य कैसे पूरा होगा?

उत्तरः पीएच०डी० कोर्स वर्क के क्रेडिट ट्रांसफर हो जायेंगे तथा शोध कार्य भी दोनो विश्वविद्यालयों के नियमानुसार साथ ले जाया या पूर्ण कराया जा सकेगा।

44. स्नातक और स्नातकोत्तर के समान पीएच० डी० के कार्य में भी क्या क्रेडिट सिस्टम लागू होगा यदि हाँ तो किस प्रकार?

उत्तरः पीएच०डी० में केवल कोर्स वर्क में ही क्रेडिट सिस्टम लागू होगा, शोध कार्य में नहीं ।

45. क्या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थान में स्थानांतरण से स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या डिग्री पूरी की जा सकती है?

उत्तर: हाँ, अवश्य ही की जा सकती है। विद्यार्थी के एक विश्वविद्यालय से अर्जित किये गये क्रेडिट अकादमिक डेटा बैंक के माध्यम से दूसरे विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित किये जा सकेंगे।

46. क्या स्नातक या परास्नातक के विद्यार्थी को माइनर विषय या पेपर भी उत्तीर्ण करने होंगे जो उसने दूसरे संकाय से लिए हैं?

उत्तर: हाँ। वर्ष के अन्त में परिणाम मेजर, माइनर, वोकेशनल व को-करिकुलर सभी प्रकार के कोर्स पर आधारित होगा। सभी प्रकार के कोर्सस को उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा अंतिम परिणाम जो कि CGPA के रूप में होगा, सभी कोर्सस में अर्जित ग्रेडस पर निर्भर करेगा ।

47. क्या स्नातक कार्यक्रम चार वर्ष व स्नातकोत्तर कार्यक्रम एक वर्ष के होंगे?

उत्तर : *(a)* स्नातक कार्यक्रम की तीन वर्ष उत्तीर्ण होने पर स्नातक की उपाधि मिलेगी जिसके पश्चात दो वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम करना होगा। *(b)* स्नातक कार्यक्रम के यदि चार वर्ष उत्तीर्ण किये हैं तो स्नातक (शोध) की उपाधि मिलेगी तथा इसके बाद केवल एक वर्ष में स्नातकोत्तर उपाधि मिल जायेगी। *(c)* इस प्रकार से स्नातक का चतुर्थ वर्ष व परास्नातक का प्रथम वर्ष समान/उभयनिष्ठ(common) होगा ।

48. यदि कोई छात्र प्रथम वर्ष में प्रमोटेड हो और द्वितीय वर्ष के सभी विषय उत्तीर्ण कर लिया हो परन्तु कैरीओवर पेपर को बैक भरकर उत्तीर्ण नहीं कर पाया हो तो क्या तृतीय वर्ष में प्रमोटेड होगा?

उत्तर : नहीं , ऐसी परिस्थिति में तृतीय वर्ष में न जाकर वह ईयर गैप की श्रेणी में आएगा। गैप ईयर या एक्स स्टूडेंट के रूप में बैक पेपर देने व प्रथम वर्ष के सभी पेपर उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही अगले वर्ष तृतीय वर्ष में जा सकेगा।

49. स्नातक प्रथम वर्ष के सभी पेपर्स उत्तीर्ण करने या सर्टिफिकेट को प्राप्त करने अधिकतम की अवधि क्या है?

उत्तर : तीन वर्ष।

50. परास्नातक में माइनर पेपर कितने क्रेडिट का होता है?

उत्तर : सैद्धांतिक विषय में 5 क्रेडिट का और प्रायोगिक विषय में 4 क्रेडिट का।

<u>प्रश्न पत्र के मार्किंग एवं मार्कशीट से सम्बंधित प्रश्न</u>

51. प्रत्येक थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर कितने अंको का होता है ?

उत्तर: प्रत्येक थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर 100 अंको का होता है।

52. प्रत्येक थ्योरी या प्रायोगिक पेपर में आतंरिक एवं वाह्य परीक्षा कितने अंको का होता है ?

उत्तर: प्रत्येक थ्योरी या प्रायोगिक पेपर में आतंरिक परीक्षा 25 अंक एवं वाह्य परीक्षा 75 अंक का होता है।

53. प्रत्येक थ्योरी या प्रायोगिक पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंको की आवश्यकता होती है ?

उत्तर: प्रत्येक थ्योरी या प्रायोगिक पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए वाह्य परीक्षा के 75 अंकों में कम से कम 25 (75 का 33 %) अंक तथा 100 में 33 अंक होना अनिवार्य है।

54. वोकेशनल पेपर (कौशल विकास पाठ्यक्रम) कितने अंको का होता है ?

उत्तर: कौशल विकास पाठ्यक्रम से सम्बंधित वोकेशनल सैद्धांतिक पेपर 40 अंको तथा वोकेशनल प्रायोगिक पेपर 60 अंको का होता है एवं सम्पूर्ण पेपर 100 अंको का होता है।

55. वोकेशनल पेपर में उत्तीर्ण होने हेतु कम से कम कितने अंको की आवश्यकता होती है?

उत्तर: वोकेशनल पेपर में उत्तीर्ण होने हेतु वोकेशनल सैद्धांतिक तथा वोकेशनल प्रायोगिक के अंको का योग कम से कम 40 होना अनिवार्य होता है।

56. सह पाठ्यचर्या (को-करिकुलर पाठ्यक्रम) के पेपर कितने अंको का होता है?

उत्तर: सह पाठ्यचर्या (को-करिकुलर पाठ्यक्रम) का पेपर 100 अंको का होता है। जिसमे आंतरिक मूल्यांकन 25 में तथा वाह्य परीक्षा 75 अंको का होता है।

57. सह पाठ्यचर्या (को-करिकुलर पाठ्यक्रम) के पेपर में उत्तीर्ण होने हेतु कम से कम कितने अंको की आवश्यकता होती है?

उत्तर: सह पाठ्यचर्या (को-करिकुलर पाठ्यक्रम) की वाह्य परीक्षा के 75 अंको में कम से कम 30 अंक (75 का 40 %) तथा कुल में 40 अंक का होना उत्तीर्ण होने हेतु अनिवार्य होता है।

58. लघु शोध परोयोजना (माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट) कितने अंको का होता है?

उत्तर: लघु शोध परोयोजना 100 अंको का होता है । जिसमे आंतरिक मूल्यांकन 25 तथा वाह्य मूल्यांकन 75 अंको में होता है। ।

59. लघु शोध परोयोजना (माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट) में उत्तीर्ण होने हेतु कम से कम कितने अंको की आवश्यकता होती है?

उत्तर: लघु शोध परोयोजना (माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट) की वाह्य परीक्षा के 75 अंको में कम से कम 30 अंक (75 का 40 %) तथा कुल में 40 अंक का होना उत्तीर्ण होने हेतु अनिवार्य होता है।

60. किसी भी पेपर के प्राप्त अंको को पॉइंट में कैसे परिवर्तित किया जाता है ?

उत्तर: किसी भी पेपर के प्राप्त अंको को निम्न सारिणी के अनुसार परिवर्तित किया जाता है-

लेटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7

B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

61. विषम सेमेस्टर में क्या विद्यार्थी सदैव प्रमोट होता है ?

उत्तरः हाँ, विषम सेमेस्टर में विद्यार्थी सदैव प्रमोट होता है। यदि विद्यार्थी कुछ पेपर देता है और कुछ पेपर नहीं देता है या कोई भी पेपर नहीं देता है या किसी पेपर में फेल हो जाता है तो वह नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत विषम सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है जिसका सम्पूर्ण मूल्यांकन सम सेमेस्टर में किया जाता है।

62. विषम सेमेस्टर में विद्यार्थी कब उत्तीर्ण या पास किया जाता है ?

उत्तरः जब विद्यार्थी सभी प्रश्न पत्रों में पास या उत्तीर्ण होता है तो उसे उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

63. स्नातक प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) से स्नातक द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में जाने की क्या शर्तें हैं?

उत्तरः यदि विद्यार्थी ने (i) वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 % क्रेडिट्स के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों और (ii) मेजर विषयों (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 50% क्रेडिट के सभी पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों तो वह अगले विषम सेमेस्टर जाने हेतु अनुमन्य होता है। उपर्युक्त शर्त तथा कैरी ओवर पेपर न होने की दशा में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है एवं उपर्युक्त शर्त के साथ कैरी ओवर पेपर होने की दशा में प्रमोटेड घोषित किया जाता है। उपर्युक्त शर्त का पालन न होने पर अनुत्तीर्ण या फेल घोषित किया जाता है।

64. स्नातक द्वितीय वर्ष (चतुर्थ सेमेस्टर) से स्नातक तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में जाने की क्या शर्तें हैं?

उत्तरः उत्तरः यदि विद्यार्थी ने (i) वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 % क्रेडिट्स के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों और (ii) मेजर विषयों (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 50% क्रेडिट के सभी पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों तथा (iii) अंतिम सी०जी०पी०ए० (चारों सेमेस्टर मिलाकर) का मान 4 या इससे अधिक हो तो वह अगले विषम (पंचम) सेमेस्टर जाने हेतु अनुमन्य होता है। उपर्युक्त शर्त तथा कैरी ओवर पेपर न होने की दशा में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है एवं उपर्युक्त शर्त के साथ कैरी ओवर पेपर होने की दशा में प्रमोटेड घोषित किया जाता है। उपर्युक्त शर्त का पालन न होने पर अनुत्तीर्ण या फेल घोषित किया जाता है।

65. कैरीओवर पेपर को कैसे उत्तीर्ण किया जा सकता है?

66. उत्तरः बैक पेपर के माध्यम से कैरीओवर पेपर को पुनः देकर उत्तीर्ण किया जा सकता है।

66. बैक पेपर कब होते है?

उत्तरः विषम सेमेस्टर के कैरीओवर पेपर की बैक पेपर परीक्षा विषम सेमेस्टर में होती है जबकि सम सेमेस्टर के कैरीओवर पेपर की बैक पेपर परीक्षा सम सेमेस्टर में होती है। इस हेतु संगत सेमेस्टर में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर दी गयी समयावधि में बैक पेपर फॉर्म भरना होता है।

67. क्या आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर होता है ?

उत्तरः नहीं। आंतरिक परीक्षा में सुधार या इम्प्रूवमेंट संभव नहीं है।

68. क्या एक सम्पूर्ण सेमेस्टर में बैक पेपर अनुमन्य है ?

उत्तरः हाँ । इस स्थिति आंतरिक मूल्यांकन भी संभव है।

69. क्या एक वर्ष के दोनों सम्पूर्ण सेमेस्टर में बैक पेपर दिया जा सकता है ?

उत्तरः नहीं। नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत यह अनुमन्य नहीं है ।

70. बैक पेपर कितने वर्ष पहले तक के पेपर्स में दिया जा सकता है ?

उत्तरः वर्तमान वर्ष से केवल एक वर्ष पहले के पेपर्स में ही बैक पेपर दिया जा सकता है।

71.एक वर्षीय सर्टिफिकेट डिग्री को पूर्ण करने की अधिकतम काल अवधि क्या है?

उत्तरः 3 वर्ष।

72. त्रि वर्षीय स्नातक डिग्री को पूर्ण करने की अधिकतम काल अवधि क्या है?

उत्तरः 9 वर्ष।

73. किस आधार पर छात्र की डिवीज़न या श्रेणी निर्धारित की जाएगी ?

उत्तरः यदि CGPA का मान 6.5 या इससे ऊपर है तो प्रथम श्रेणी, तथा यदि CGPA का मान 5.00 या इससे ऊपर एवं 6.5 के कम है तो द्वितीय श्रेणी और यदि CGPA का मान 4 .00 या इससे ऊपर एवं 5.00 के कम है तो तृतीय श्रेणी/ डिवीज़न निर्धारित किया जायेगा।

74. CGPA को अंक प्रतिशत में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है ?

उत्तरः CGPA को 9.5 से गुणा करने पर अंक प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है।

75. SGPA और CGPA को पूरा नाम क्या है और इससे कैसे निकला जाता है?

उत्तरः SGPA को सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज तथा CGPA को क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते है। इन्हें नीचे दिए गए सूत्र से निकला जा सकता है।

$$SGPA = S_j = \frac{\sum C_i \times G_i}{\sum C_i} \qquad CGPA = \frac{\sum C_j \times S_j}{\sum C_j}$$

;

C_i = j^{th} सेमेस्टर में i^{th} पाठ्यक्रम का क्रेडिट

G_i = j^{th} सेमेस्टर में i^{th} पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड अंक

S_j = j^{th} सेमेस्टर का एसजीपीए;

C_j = j^{th} सेमेस्टर में क्रेडिट की कुल संख्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति

प्रो. राजेश कुमार द्विवेदी
अध्यक्ष

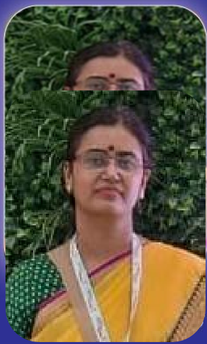

प्रो. अंशू यादव
संकायाध्यक्ष, शोध

प्रो.अनूप कुमार सिंह
प्राचार्य, पी.पी.एन. कॉलेज

प्रो. वी.के. कटियार
प्राचार्य, ब्रह्मावर्त पी.जी.कॉलेज, कानपुर

प्रो. राजेश किशोर त्रिपाठी
प्राचार्य, जनता कॉलेज, बकेवर

प्रो. महेन्द्र सिंह
प्राचार्य, के .के. डिग्री कॉलेज, इटावा

प्रो. डी. सी. श्रीवास्तव
सदस्य, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर

प्रो.मीतकमल
सदस्य, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर

प्रो.पद्मा त्रिपाठी
सदस्य, के.के. डिग्री कॉलेज, इटावा

प्रोफेसर सत्य नारायण मिश्र
सदस्य, बी.एन.डी. कॉलेज, कानपुर

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय
सदस्य, पी.पी. एन. कॉलेज, कानपुर

डॉ. यतीन्द्र सिंह
संयोजक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सलाहकार समिति